सशक्तिकृत व आधुनिकीकृत

भारतवर्ष का सविंधान

Empowered and Modernised

CONSTITUTION OF BHARATVARSHA

प्रिज्म के संस्थापक

देव नन्दन

द्वारा संकलित

सशक्तिकृत व आधुनिकीकृत
भारतवर्ष का सविंधान

Empowered and Modernised
CONSTITUTION OF BHARATVARSHA

Compiled by

Dev Nandan

Founder of Prism

23 जनवरी, 1994 को लोकार्पित

Presented to Public on 23rd January, 1994

सशक्तिकृत व आधुनिकीकृत

भारतवर्ष का सविंधान

Empowered and Modernised

CONSTITUTION OF BHARATVARSHA

प्रस्तावना

हम भारतवर्ष के लोग

अपने सभी नागरिकों के लिये

सन्तुष्टिपूर्ण एवं सार्थकतायुक्त

अधिकतम आनन्ददायक जीवन

का मार्ग प्रशस्त करने के लिए

आस्तिक गतिक साम्यता

पर आधारित

भारतवर्ष का संविधान

अमुक दिवस/दिनाँक को जनमत संग्रह द्वारा

अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं।

भाग–1

देश तथा नागरिकता

देश

1. भारतवर्ष हिन्द महासागर से हिमालय तक रहने वाले सभी नागरिकों का एक संघ होगा।

2. सम्पूर्ण भारतवर्ष एक देश, एक राष्ट्र तथा एक राज्य होगा तथा किसी भी प्रकार की अन्य राजनैतिक इकाई/इकाईयाँ/उपइकाई/उपइकाईयाँ नहीं होंगी।

3. नये राज्यों का प्रवेश

   कार्यपालिका द्वारा संबंधित राज्य के विधिमान्य शासक अथवा जनता की सहमति से भारतवर्ष में किसी भी राज्य का बगैर किसी शर्त के पूर्ण विलय किया जा सकेगा। सशर्त विलय या आंशिक विलय की अनुमति नहीं होगी।

नागरिकता

4. भारतवर्ष के नागरिकों की संतानें जिनका पंजीकरण संबंधित पंचायत में होगा जन्म से ही भारत वर्ष की नागरिक होंगी।

5. संविधान सभा द्वारा अधिकृत संस्था संविधान सभा द्वारा विनियमित नियमों के तहत नये लोगों को भारतवर्ष की नागरिकता प्रदान कर सकेगी।

6. किसी अन्य देश की नागरिकता होने/ग्रहण करने पर भारतवर्ष की नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी,।

पाक, बंग और हिन्दुस्तान
अखण्ड भारत अपनी शान

भाग–2

संविधान सभा

7. संविधान सभा देश की सर्वोच्च संस्था होगी तथा राष्ट्राध्यक्ष इसका प्रमुख होगा।

8. संविधान सभा दलगत राजनीति से परे, दलविहीन चुनाव प्रणाली द्वारा बगैर किसी राजनैतिक दल के चुनाव चिन्ह या किसी अन्य प्रकार की सम्बद्धता के चुनी गयी एक निर्वाचित स्थायी संस्था होगी। इसके सदस्यों का कार्यकाल 10 वर्ष होगा तथा प्रतिवर्ष 1/10 सदस्यों का स्थान नये सदस्य लेंगे ।

9.(क) संविधान सभा में जनता के विभिन्न वर्गों द्वारा भारात्मक अनुपात में चुने गए एक हजार सदस्य होंगे। प्रत्येक वर्ग के लोंगो द्वारा अपने वर्ग के प्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा चुने जायेंगे।

(ख) वर्गानुसार चुने गये प्रतिनिधियों का प्रतिशत निम्नानुसार होगा–

1.	पुरुष वर्ग	(20% सदस्य)
2.	महिला वर्ग	(20% सदस्य)
3.	शिक्षक वर्ग	(10% सदस्य)
4.	डॉक्टर	(5% सदस्य)
5.	वैज्ञानिक	(5% सदस्य)
6.	अवकाश प्राप्त न्यायाधीश वर्ग	(5% सदस्य)
7.	अवकाश प्राप्त प्रशासनिक, पुलिस तथा सैनिक अधिकारी वर्ग	(5% सदस्य)
8.	अवकाश प्राप्त राजपत्रित अधिकारी वर्ग	(5% सदस्य)
9.	मजदूर वर्ग	(5% सदस्य)
10.	उद्योगपति वर्ग	(5% सदस्य)
11.	कृषक वर्ग	(5% सदस्य)
12.	साहित्यकार, कलाकार तथा पत्रकार वर्ग	(5% सदस्य)
13.	विविध वर्ग	(5% सदस्य)

(ग) उपरोक्त प्रत्येक वर्ग हेतु आरक्षण के प्रावधान तब तक जारी रहेंगे जब तक जाति–वर्ग भेद रहित समतामूलक समाज का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता।

10. संविधान सभा सदस्य के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी तथा कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

11. प्रत्येक वर्ग हेतु संबंधित वर्ग के लोग ही जो भारतवर्ष के नागरिक होंगे संविधान सभा के उम्मीदवार बन सकेंगे।

12. संविधान सभा की कोरम पूर्ति संख्या 3/4 सदस्यों की होगी।

13. संविधान सभा का कभी सत्रावसान नहीं होगा।

14. संविधान सभा में लम्बित विधेयक अवकाश के कारण व्यपगत नहीं होगा।

15. संविधान सभा का एक सचिवालय तथा सचिवीय कर्मचारीवृन्द होगा। सचिवालय कार्यालय समय पर हमेशा खुला रहेगा।

16. संविधान सभा की कार्यवाही के संचालन हेतु अध्यक्ष सहित एक ग्यारह सदस्यीय बोर्ड होगा जिसका चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा तथा इस हेतु संविधान सभा के सदस्य ही चुनें जायेंगे।

17. प्रधानमंत्री, उसके मंत्री मण्डल के सदस्यों तथा महान्यायवादी को संविधान सभा की कार्यवाही में भाग लेने तथा विचार रखने का अधिकार होगा, परन्तु मतदान का अधिकार नहीं होगा।

18. संविधान सभा का विघटन

संविधान सभा का विघटन केवल संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत की स्वीकृति के उपरांत तीन चौथाई बहुमत से जनमत संग्रह द्वारा ही हो सकेगा। विघटन के उपरान्त भी जब तक वैकल्पिक संस्था इसका कार्य नही संभालती, संविधान सभी पूर्ववत् कार्य करती रहेगी।

19. संविधान सभा के कार्य

(1) निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में संशोधन करना।

(2) लोकसभा/प्रधानमंत्री/पंचायत प्रमुख के मध्यावधि चुनाव की अनुमति देना। इस हेतु कुल सदस्य संख्या का दो तिहाई बहुमत अनिवार्य होगा।

(3) शिक्षा आयोग के सदस्य,चुनाव आयोग के सदस्य, लोकसेवा आयोग के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, महान्यायवादी तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्राध्यक्ष द्वारा सविधान सभा की सिफारिश पर की जाएगी।

(क) उक्त सभी सदस्यों की नियुक्ति पाँच वर्ष हेतु की जाएगी परन्तु वे इससे पूर्व भी त्यागपत्र दे सकेंगे।

(ख) उक्त सभी सदस्यों की सेवा की शर्तें संविधान सभा द्वारा निर्धारित की जाएँगी, पर नियुक्ति के पश्चात् पदावधि के दौरान उनकी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(ग) उक्त सभी लोगों को उनके पदों से केवल महाभियोग द्वारा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकेगा।

(घ) उक्त कोई भी व्यक्ति अपने पद पर न रहने के बाद राज्य के अधीन उक्त पद से निम्न स्तर का कोई पद धारण नहीं कर सकेगा।

(4) कानूनों का निर्माण तथा संशोधन

(5) संविधान सभा अपनी कार्यवाही के सचांलन की प्रक्रिया संबंधी विनियमन हेतु संविधान के तहत नियम बना सकेगी।

(6) विशिष्ट परिस्थितियों पर विचार हेतु प्रधानमंत्री के निवेदन पर न्यायपलिका की अनुमति के बाद राष्ट्राध्यक्ष के आदेश से संविधान सभा लोकसभा के साथ संयुक्त बैठक करेगी लेकिन ऐसी संयुक्त बैठक मे भी संविधान सभा तथा लोकसभा के अपने अपने उत्तरदायित्व तथा अधिकार यथावत् बने रहेंगे।

(7) संविधान में निर्दिष्ट अन्य कार्य।

मरते हुए देश को बचाओ साथियों, अब संविधान दूसरा बनाओ साथियों

आप हमारी तीन मौलिक बातों से तो सहमत होंगे ही, एक तो यह कि परोपकार से बढ़कर कोई पुण्य कार्य नहीं है, दूसरी यह कि व्यवस्थाएँ समय की आवश्यकतानुसार बदलती रहनी चाहिये तथा तीसरी यह कि आधुनिक समय में समाज सेवा का राजनीति सर्वश्रेष्ठ साधन है। शेष सभी बातों पर विचार हो सकता है अब आप ज्यादा सोच विचार में मत पड़ो, आगे बढ़ो तथा पतन की ओर जा रहे अपने देश को बचा सको तो बचा लो, नहीं तो यह देश मिट जाएगा।

भाग–3

प्रस्तावना की व्याख्या

20. यह भाग प्रस्तावना को स्पष्ट कर उसकी व्याख्या करता है तथा आस्तिक गतिक साम्यता के सिद्धान्त को परिभाषित करता है)

21. विराट चेतना है –

एक व केवल एक असीम आध्यात्मिक शक्ति है।

22. इकाई चेतना है –

(क) सभी प्राणियों में एक चेतन इकाई होती है। सृष्टि में विभिन्न इकाई चेतनाएँ हैं जो यद्यपि समान हैं फिर भी उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार विभिन्न जीवों के रूप में जन्मती हैं।

(ख) स्त्री तथा पुरुष की इकाई चेतनाएँ समान हैं।

(ग) इकाई चेतना गर्भाधान के साथ ही बन रहे शरीर से संलग्न हो जाती है।

23. जीवन का कारण आनन्द की खोज –

प्रकृति की भाषा को पढ़ने पर हम पाते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के आनन्द का भरपूर इन्तजाम किया है अतः स्पष्ट है कि जीवन का कारण पूर्वकृत कर्मों की सजा नहीं बल्कि आनन्द की खोज है।

24. भौतिकवाद व आध्यात्मवाद के समन्वय से ही पूर्ण आनन्द –

प्रत्येक जीवधारी विशेषकर मानव अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति हेतु लगातार प्रयासरत रहता है। इस हेतु वह भौतिक आनन्द या आध्यात्मिक आनन्द में से किसी न किसी को एक साथ या अलग–अलग पाने का प्रयास करता है लेकिन इनमें से किसी एक की भी कमी रहने पर मानव पूर्ण आनन्द प्राप्त नहीं कर सकता। जहाँ भौतिक आनन्द मानव को सुख देते हैं वहीं, अध्यात्मिक आनन्द मानव को शांति देते हैं। सुख तथा शान्ति की साथ–साथ प्राप्ति से पूर्ण आनन्द की प्राप्ति होती है जो कि भौतिकवाद तथा आध्यात्मवाद के समन्वय से ही सम्भव है। यही आस्तिक गतिक साम्यतावाद है।

25. कर्म की स्वतंत्रता –

(क) मनुष्य के अलावा सभी जीवधारियों में अपने जीवन तथा आचरण सम्बन्धी अधिकांश सूचनाएँ पूर्व अंकित होती हैं जिनमें सामान्यतया कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके विपरीत मनुष्य का मस्तिष्क जन्म के समय नितान्त कोरा लेकिन अपार संभावनाएँ लिये होता है। स्पष्ट है कि प्रकृति ने मनुष्य को विचार तथा आचरण की पूर्ण स्वतंत्रता तथा अपार अवसर दिये हैं।

(ख) प्रत्येक इकाई चेतना व्यक्तिगत रूप से अच्छे कर्मों का अच्छा तथा बुरे कर्मो का बुरा फल पाती है। कर्मो का निर्धारक तत्व नीयत होती है।

26. सारे मानव राक्षसत्व व देवत्व के बीच

मानव शरीरधारी इकाई चेतनाएँ प्रवृत्ति के आधार पर न तो पूरी तरह शैतानी (बुरी) हैं न ही पूरी तरह दिव्य(अच्छी) हैं अर्थात उनकी प्रवृत्तियाँ राक्षसत्व से ऊपर तथा देवत्व से नीचे भिन्न–भिन्न स्थितियों पर होती हैं। कोई भी नियम बनाते समय यह बात विशेषकर ध्यान में रखनी चाहिये।

व्यवहारिक जीवन में अस्तिक गतिक साम्यता

27. समाज की उत्पत्ति

आपस में मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रहने की प्रवृत्ति, साहचर्य की अभिलाशा, प्रेमभावना तथा मानव के व्यक्तिगत व सामूहिक हितों को संरक्षण देने हेतु ही समाज की रचना हुई।

28. सामूहिक तथा सामाजिक जीवन हेतु धर्म सभी मानवीय क्रियाकलापों की प्रारम्भिक शर्त

अपने लक्ष्यों की पूर्ति के प्रयास किसी भी व्यक्ति के अधिकारों व हितों का अतिक्रमण न करे वरन् उनके अधिकारों व हितों की पूर्ति में सहायक हों, यही धर्म है जो कि सामूहिक जीवन का आधार है। धर्म का अभिप्रायः है स्वयं का,परिजनों का,समाज का,सभी प्राणियों का तथा स्वयं की इकाई चेतना का संतुलन युक्त कल्याण अर्थात इकाई चेतना के उन्नयन के अनुकूल आचरण अथवा उन्नत इकाई चेतना का आचरण।

मानव दूसरे प्राणियों के अधिकारों व हितों की पूर्ति में सहायक बने इस हेतु हम उसे प्रेरित तो कर सकते हैं पर बाध्य नहीं, अतः यह धर्म का ही नैतिक स्वरूप है तथा धर्म का प्रेरणात्मक भाग है। यह भाग आध्यात्मिक क्षेत्र का विषय है। लेकिन यहाँ मानव दुसरे के अधिकारों व हितों का अतिक्रमण न करे अर्थात दुसरे प्राणियों को कष्ट न पहुँचाये इस हेतु हम उसे प्रेरित भी कर सकते हैं व बाध्य भी अतः यह इस लौकिक जगत का विषय है तथा धर्म का निषेधात्मक भाग है।

यहाँ जहाँ धर्म का प्रेरणात्मक भाग राज्य तथा सम्प्रदाय दोनो के क्षेत्राधिकार में आता है वहाँ इसका निषेधात्मक भाग केवल राज्य के क्षेत्राधिकार में आता है अतः राज्य या समाज इस सम्बन्ध में नियम बना सकता है।

29. राज्य की अवधारणा

समाज ने व्यक्तियों द्वारा परस्पर एक दूसरे के अधिकारों तथा हितों का अतिक्रमण रोकने हेतु तथा इस हेतु बनाए गए नियमों का पालन करवाने हेतु, समाज कल्याण हेतु, सामूहिक व्यवस्था हेतु तथा अपनी इच्छा को क्रियान्वित करने हेतु जिस व्यक्ति या संस्था को अधिकृत किया वही राज्य है, तथा इस हेतु बनाए गए नियम ही संविधान है।

30. राज्य का उद्देश्य

चूंकि सक्षम लोग तो अपने हितों व अधिकारों की रक्षा स्वयं कर सकते हैं अतः दुर्बल या अक्षम पक्ष की रक्षा व सहायता ही राज्य की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य है।

31. राष्ट्र की अवधारणा

(1) जैसे–जैसे कोई समाज पुराना होता जाता है समय के साथ–साथ कुछ सामान्य परम्पराएँ विकसित हो जाती हैं, विशेष जीवन शैली निर्मित हो जाती है तथा एक अपनापन उत्पन्न हो जाता हैं ऐसे समाज को राष्ट्र कहते हैं।

(2) भौगोलिक विविधता व संवाद की कमी के कारण अलग–अलग भौगोलिक इकाईयों में अलग–अलग राष्ट्रों का विकास हुआ।

(3) उक्त परम्पराओं तथा जीवनशैली के दो भाग होते हैं, आंतरिक तथा बाह्य। आंतरिक रूप हमेशा समान रहता है जिसे हम राष्ट्र की आत्मा कह सकते हैं, यही संस्कृति है। बाह्य रूप जो दृष्टिगोचर होता है वह समय के साथ बदलता रहता है उसे सभ्यता कहते हैं।

(4) समय तथा परिस्थितयों की आवश्यकता के अनुसार होने वाला सभ्यता में परिवर्तन राष्ट्र जीवन के लिए लाभदायक ही होता है, हानिकारक नहीं।

(5) संस्कृति वह सूत्र है जो राष्ट्र को एक रखने में सहायक होता है। सम्पूर्ण भारतवर्ष में हमें एक विशेश जीवन शैली के दर्शन होते हैं जिस पर जाति, सम्प्रदाय, भाषा, क्षेत्र, भौगोलिक वातावरण आदि का कोई अन्तर नहीं पड़ता, भले ही सभ्यता में अन्तर आ जाता हो। यही हमारी सांस्कृतिक एकता है जो सदैव अक्षुण्य रहनी चाहिये।

(6) जैसे जैसे आवागमन की सुविधा तथा संवाद की सुविधा की अधिकता होगी, धीरे–धीरे राष्ट्रीयता का स्थान विश्व एकात्मकता ले लेगी।

32. राष्ट्र, समाज व राज्य

हमारे देश के लिए एक समाज, एक राष्ट्र, एक राज्य की प्रणाली ही उचित है।

33. व्यक्ति व समाज

(1) व्यक्ति जन्म से पूर्व भी अकेला था व मृत्यु के बाद भी अकेला ही रहेगा वह अपने कर्मों के लिये भी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी है। अतः प्रकृति की व्यवस्था व्यक्तिगत विकास की है न कि सामुदायिक विकास की।

(2) समाज का निर्माण व्यक्तियों द्वारा व व्यक्ति के लिए हुआ है। समाज के न होने पर भी व्यक्ति अकेला रह सकता है पर व्यक्ति के बगैर समाज का कोई अस्तित्व नहीं है, अतः व्यक्ति ही प्राथमिक है जबकि समाज द्वितीयक है। इसलिए सभी व्यवस्थाओं का तथा योजनाओं का केन्द्र बिन्दु व्यक्ति ही होना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति होने पर श्रेष्ठ समाज स्वतः ही बन जाएगा।

34. वर्गभेद रहित समाज स्वाभाविक

सभी मानवों की प्रवृत्तियाँ राक्षसत्व व देवत्व के बीच अलग–अलग बिन्दुओं पर होने के कारण तुलनात्मक समान प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों का स्वतः ही एक पृथक वर्ग बन जाता है। इस प्रकार यद्यपि वर्गो की उत्पत्ति स्वाभाविक है लेकिन विशाल जनसंख्या में प्रवृत्तियों का अन्तर विविक्त (सीढ़ीदार) न होकर सतत (लगातार) होने के कारण वर्गों के बीच स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं होती है, अतः वर्ग भेद रहित समाज स्वाभाविक है तथा वर्ग विभाजन एक विकृति है।

35. समाज के विकास हेतु व्यक्ति का विकास आवश्यक

एक–एक व्यक्ति के विकास से समाज का विकास होगा व विकसित समाज हर व्यक्ति के विकास में सहायक होगा अतः व्यक्ति व समाज में टकराव नहीं वरन् सहयोग होना चाहिये।

36. व्यक्ति के विकास की आवश्यक शर्तें –

(1) व्यक्ति की न्यूनतम मौलिक आवश्यकताएं पूरी की जाएँ ।

वर्तमान संदर्भो में व्यक्ति की न्यूनतम मौलिक आवश्यकताएँ निम्न हैं –

(क) रोटी,कपड़ा और मकान

(ख) शिक्षा, चिकित्सा और सम्मान

(ग) न्याय, सुरक्षा, स्वतंत्र विचार

(घ) प्रगति के समान अवसर – अधिकार।

(2) उसके साथ अन्य व्यक्तियों की तुलना में किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाए।

(3) उसकी गतिविधियों पर समाज या राज्य द्वारा या किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा तब तक कोई रोक नहीं लगाई जाए जब तक कि वह या उसकी वे गतिविधियाँ किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों या हितों को दुष्प्रभावित न करें।

37. व्यक्ति के अधिकार तथा कर्त्तव्य

विकास के अवसर प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है तथा दूसरे के विकास में बाधा न पहुँचाना व उसमें यथा–सम्भव सहयोग करना उसका कर्त्तव्य है।

38. (1) प्रकृति विराट चेतना का मनुष्य को श्रेष्ठतम उपहार

सम्पूर्ण प्रकृति व प्राकृतिक संसाधन सभी व्यक्तियों को विराट चेतना का श्रेष्ठतम उपहार है अतः सभी व्यक्तियों की अथवा समाज की साझा सम्पत्ति है। इसलिए कुछ शक्तिशाली या बुद्विमान लोगों द्वारा बल या चतुरता पूर्वक अन्य लोगों के अधिकारों का अतिक्रमण ही सभी प्रकार के आर्थिक,सामाजिक व अन्य भेदों का प्रमुख कारण है।

(2) राज्य : व्यक्ति व समाज के हितों का संरक्षक

समाज ने देखरेख हेतु अपनी साझा सम्पत्ति, सारे साधन, दायित्व तथा अधिकार राज्य को सोंप दिये हैं।

39. राज्य की शक्ति का स्त्रोत प्रजा

चूँकि राज्य को सारी शक्ति जनता ने दी है अतः सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न तो जनता तथा जनमत ही है। चूंकि शक्ति का दाता ही शक्ति का नियंत्रक भी होना चाहिये अतः प्रजातंत्र ही श्रेष्ठतम शासन पद्धति है तथा किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि के जन समर्थन खो देने पर अविलम्ब उसे पद मुक्त करने की व्यवस्था होनी चाहिए। स्पष्ट है कि प्रजातंत्र का अर्थ शासक की नियुक्ति का तरीका नहीं बल्कि जनता के विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा शासन है।

40. राज्य का लक्ष्य

राज्य का लक्ष्य ''सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय'' है न कि ''बहुजन हिताय,बहुजन सुखाय''।

41. प्रजातंत्र की आवश्यक शर्त –

अच्छी प्रवृत्ति वाले लोगों का बहुमत होना एक अच्छे प्रजातंत्र हेतु परम आवश्यक है।

42. मानव प्रवृत्तियों का उन्नयन

(क) सम्प्रदाय द्वारा

सम्प्रदाय का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा का उत्थान करना अर्थात उसकी प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा में प्रेरित करना है।

(ख) शिक्षा द्वारा – राज्य का कर्तव्य है कि वह औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा द्वारा लोगों की प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा देने का प्रयास करे।

43. सेक्यूलरिज्म आवश्यक

राज्य केवल लौकिक विषय तथा धर्म के वर्जनात्मक भाग (दूसरों को कष्ट न पहुँचाना) पर ही नियंत्रण रख सकता है जबकि दूसरी ओर आध्यात्मिक विषय सम्प्रदाय के कार्यक्षेत्र में आता है। धर्म का प्रेरणात्मक भाग दोनों के कार्यक्षेत्र में आता है, परन्तु इस हेतु व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता है। राज्य व सम्प्रदाय दोनों द्वारा अपने– अपने कार्यक्षेत्र का उल्लंघन न करना, तथा परस्पर एक दूसरे के कार्यो में हस्तक्षेप न करना ही सेक्यूलरिज्म का सही अर्थ है तथा किसी भी प्रकार के सम्भावित टकराव को रोकने के लिए व दोनों की सामूहिक निरंकुशता को रोकने के लिए सेक्यूलरिज्म आवश्यक है।

44. सरकार

राज्य की इच्छा को क्रियान्वित करने वाली अधिकृत संस्था ही सरकार है।

45. सरकार के कार्य –

(1) प्रत्येक नागरिक को बगैर किसी भेदभाव के उसके अधिकार देना व दिलाना।

(2) वर्ग विभाजन के कारण दूर कर वर्गभेद रहित समाज बनाए रखना।

(3) व्यक्ति की प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा देना तथा व्यक्ति को परोपकार हेतु प्रेरित करना।

(4) सभी व्यक्तियों के लिए संतुष्टिपूर्ण एवं सार्थकतायुक्त अधिकतम आनन्ददायक जीवन का मार्ग प्रशस्त करना।

(5) समाज का कल्याण तथा विकास करना।

(6) राष्ट्र की संस्कृति तथा गौरव की रक्षा व विस्तार करना।

(7) खराब प्रवृत्तियों वाले व्यक्तियों, संस्थाओं, राज्यों तथा राष्ट्रों से अपने नागरिकों, अपने समाज, अपने राज्य तथा अपने देश को सुरक्षित रखना।

46. प्रजातंत्र की सफलता हेतु निम्न शर्तें आवश्यक हैं –

(1) पृथक–पृथक व्यवस्थापिका ,न्यायपालिका व कार्यपालिका जो कि एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र हों।

(2) सभी नागरिकों के अधिकारों की पूर्ति ।

(3) छोटी तथा व्यवहारिक व स्वायत्त इकाई।

47. संविधान का स्थायी आधार

संविधान के निम्न स्थायी आधार होने चाहिये, जिनमें परिवर्तन न किया जाए तथा जिनसे सारा संविधान प्रेरित व निर्दिष्ट रहे।

(1) सभी व्यवस्थाओं तथा योजनाओं का केन्द्र व्यक्ति ही हो।

(2) प्रत्येक व्यक्ति के जीवन निर्वाह की समुचित व्यवस्था हो।

(3) अन्य व्यक्तियों के विचार तथा आचरण की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुऐ प्रत्येक व्यक्ति को विचार तथा आचरण की पूर्ण स्वतंत्रता हो।

(4) प्रत्येक व्यक्ति के लिए बगैर किसी भेदभाव के संतुष्टिपूर्ण एवं सार्थकतायुक्त अधिकतम आनन्ददायक जीवन का मार्ग प्रशस्त हो।

(5) पृथक–पृथक तथा एक दूसरे से पूर्णतया स्वतंत्र न्यायपालिका , व्यवस्थापिका व कार्यपालिका हो।

(6) श्रेष्ठ प्रवृत्ति वाले लोगों का बहुमत बनाये रखने हेतु–
   (क) ऐसी शिक्षा प्रणाली हो जो लोगों की प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा दे।
   (ख) सम्प्रदाय के लिये अपनी गतिविधियाँ चलाने हेतु पर्याप्त व अनुकूल परिस्थितियाँ हों तथा सम्प्रदाय भी अपनी जिम्मेदारी का ठीक निर्वाह करे।
   (ग) सम्पूर्ण व्यवस्था ऐसी हो जिसमें श्रेष्ठ प्रवृत्ति वाले लोगों के आगे बढ़ने की अनुकूलता हो।

(7) इसका उद्देश्य सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय हो।

48. आस्तिकगतिक साम्यतावाद का अभिप्राय

''आस्तिक'' से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी प्राणियों में चेतना का कारण एक चेतन इकाई को समझा जाता है न कि मात्र भौतिक शक्तियों या तत्वों के विशिष्ट योग को। चूँकि प्रत्येक इकाई चेतना की स्वयं की मूल प्रवृत्ति होती है जो धनात्मक भी हो सकती है व ऋणात्मक भी। स्वतः प्रक्रियाओं में एन्ट्रापी वृद्वि के सिद्धान्त के समान ही मानव जीवन में भी प्रवृत्तियाँ स्वतः ही ऋणात्मक दिशा में प्रवृत्त होती हैं तथा परिणामस्वरूप अव्यवस्था फैलती जाती है। इसके समाधान हेतु एक बाहरी व्यवस्था या बल आवश्यक है जो इन प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा में मोड़ सके। यह बल या व्यवस्था विराट चेतना भी हो सकती है, शिक्षा प्रणाली भी हो सकती है, सम्प्रदाय भी हो सकता है व सुधार आन्दोलन भी।

गतिक साम्यता से अभिप्राय ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सभी संयुग्मी पक्षों के बीच लगातार अन्योन्य क्रिया चलती रहती है तथा परिस्थितियों की अनुसार साम्य बिन्दु स्वतः ही परिवर्तित होता रहता है जिससे कृत्रिम समस्याएं तो समाप्त हो ही जाती हैं साथ ही सामाजिक जड़त्व के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याएं भी या तो उत्पन्न ही नहीं हो पातीं या फिर स्वतः समाप्त हो जाती हैं।

गतिक साम्यता पर आधारित व्यवस्था एक पक्षीय न होकर द्विपक्षीय होती है तथा दोनों संयुग्मी पक्षों का महत्व स्वीकार करती है तथा किसी भी एक पक्ष की ओर आवश्यकता से अधिक झुकाव को विकृति मानती है तथा समस्याओं का कारण समझती है, यहाँ तक कि आदर्शवादी या आध्यात्मिक पक्ष की तुलना में व्यवाहारिक या भौतिकवादी (सांसारिक) पक्ष की ओर आवश्यकता से अधिक झुकाव को तो विकृति मानती ही है पर इसके साथ–साथ व्यवहारिक या भौतिकवादी (सांसारिक) पक्ष की तुलना में आदर्शवादी या आध्यात्मिक पक्ष की ओर आवश्यकता से अधिक झुकाव को भी विकृति मानती है।

49. शाश्वत क्राति

आस्तिक गतिक साम्यता एक शाश्वत क्रान्ति की अवस्था है जिसमें जीवन के सभी संयुग्मी पक्षों के बीच लगातार अन्योन्य क्रिया चलती रहने के कारण कोई भी प्रावस्था अपनी विरोधी प्रावस्था पर हावी नहीं हो पाती फलतः व्यवस्थाओं में प्रदूषण की प्रक्रिया हमेशा–हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है तथा भविष्य में किसी प्रकार की क्रान्ति या प्रतिक्रान्ति की आवश्यकता नहीं रहती है।

आस्तिक गतिक साम्यता का अभिप्राय है विवेकपूर्ण संतुलन

50. आस्तिक गतिक साम्यतावाद पूर्णतया वैज्ञानिक दृश्टिकोण तथा वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित है।

51. संविधान से संबंधित किसी भी प्रकार के असमंजस की स्थिति में यह भाग अर्थात ''प्रस्तावना की व्याख्या'' दिशा निर्देश का काम करेगा तथा संविधान में हर स्थान पर प्रयुक्त शब्द ''प्रस्तावना'' से तात्पर्य प्रस्तावना सहित इस भाग में वर्णित इसकी व्याख्या से होगा।

ना पूँजीवाद ना साम्यवाद
अस्तिक गतिक साम्यतावाद

भाग–4

नीति निर्देशक तत्व

अध्याय प्रथम

इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

52. विधि बनाने तथा प्रशासन में इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करना राज्य के लिए आवश्यक होगा तथा इनका उल्लंघन नहीं करना न्यायालय द्वारा प्रर्वतनीय होगा।

अध्याय द्वितीय

स्थायी नीति निर्देशक तत्व

53. राज्य प्रथम वरीयता रक्षा को व द्वितीय वरीयता शिक्षा को देगा। इसके पश्चात सबसे पहले नागरिकों की मौलिक आवश्यकताएं पूरी करना होगा। इस हेतु सर्व प्रथम अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना होगा, तत्पश्चात अन्य व्यवस्थाएं देखनी होंगी। इसकी मोटी–मोटी रूप रेखा निम्नानुसार होगी –

केन्द्रीय प्रशासन

54. शासन का प्रधान राष्ट्राध्यक्ष होगा जो संविधान सभा, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के सहयोग, सहमति व परामर्श से कार्य करेगा।

55. संविधान सभा (व्यवस्थापिका/विधायिका)

सविधान सभा का गठन तथा कार्य भाग दो में वर्णित उपबन्धों के अनुसार होगा।

56. न्यायपालिका

(क) न्यायपालिका कार्यपालिका के नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त होगी। राष्ट्राध्यक्ष सहित देश के सभी नागरिक इसकी अधिकार सीमा के अन्तर्गत होंगे। राष्ट्राध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाने से पूर्व न्यायपालिका की एक विशेष पीठ से अनुमति लेनी होगी।

(ख) न्यायपालिका राज्य के किसी पदाधिकारी/संस्था द्वारा किये गये संविधान विरोधी कार्य को निरस्त कर सकेगी।

(ग) न्याय निःशुल्क तथा शीघ्रतिशीघ्र उपलब्ध कराना होगा।

(घ) न्यायपालिका का गठन तथा कार्य भाग नौ में वर्णित उपबंधों के अनुसार होगा।

57. कार्यपालिका

(1) प्रधानमंत्री तथा लोकसभा
कार्यपालिका के दो भाग होंगे (क) प्रधानमंत्री तथा (ख) लोकसभा

(2) प्रधानमंत्री तथा लोकसभा सदस्यों का चुनाव संबंधित क्षेत्र की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से किया जाएगा।

(3) संविधान सभा, धर्मसभा, न्यायपालिका, शिक्षा आयोग, लोकसेवा आयोग तथा चुनाव आयोग

के अलावा देश के सम्पूर्ण विषय प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार में होंगे परन्तु बजट के मामले में उस पर लोकसभा का तथा विदेश नीति के व रक्षा नीति के मामले में उस पर लोकसभा तथा संविधान सभा का युक्तिपूर्ण नियंत्रण होगा जिसे संविधान सभा समय–समय पर आवश्यतानुसार निर्धारित करती रहेगी।

58. प्रदेश

प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र का उपराज्य का दर्जा होगा जिसे प्रदेश कहा जायेगा। प्रदेश एक राजनैतिक इकाई न होकर एक प्रशासनिक इकाई होगा। विभिन्न प्रदेश कार्यों हेतु एक प्रदेश परिषद होगी। प्रदेश का मुख्य कार्य पंचायत सरकार व केन्द्र सरकार के बीच कड़ी का काम करना होगा। भौगोलिक या सांस्कृतिक समानता के आधार पर दो या दो से अधिक प्रदेश मिलकर प्रदेश मण्डल (महाप्रदेश) बना सकेंगे। किसी प्रदेश के किसी महाप्रदेश में सम्मिलित होने या किसी महाप्रदेश से अलग होने का निर्णय सम्बन्धित प्रदेश परिषद द्वारा साधारण बहुमत से किया जाएगा।

59. पंचायत

(क) शासन की इकाई पंचायत होगी व प्रत्येक योजना इसी स्तर पर लागू होगी। प्रत्येक प्रदेश पाँच हजार से लेकर दस हजार की आबादी वाली इकाईयों में बँटा होगा जिन्हें पंचायत कहा जाएगा। दस हजार से अधिक आबादी वाले कस्बों व शहरों में एक से अधिक पंचायतें होंगी। भौगोलिक तथा प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से दो या दो से अधिक पंचायतों की पंचायत परिषदें होंगी।

(ख) प्रत्येक पंचायत का कार्य देखने हेतु एक पंचायत प्रमुख होगा जिसका चुनाव प्रत्यक्ष सम्बन्धित पंचायत की जनता द्वारा होगा। पंचायत प्रमुख का कार्यकाल दो साल होगा। पंचायत प्रमुख को राजपत्रित अधिकारी के स्तर का वेतन, भत्ता व अन्य सुविधायें प्राप्त होंगी। पंचायत प्रमुख की सहायता के लिए पंचायत सचिव होगा। जो प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा।

(ग) पंचायत प्रमुख के चुनाव में पैंसठ वर्ष से अधिक उम्र के लोग उम्मीदवार नहीं हो सकेंगे।

(घ) पंचायत के आय के अपने विभिन्न साधन तो होंगे ही पर इसके अलावा केन्द्र सरकार की कुल आय में से रक्षा व शिक्षा व्यय तथा कर्मचारियों का वेतन निकालने के बाद कुल आय का पचास प्रतिशत पंचायत के हिस्से में आएगा । पंचायत के हिस्से की आय का साठ प्रतिशत धन सभी पंचायतों में सीधा समान रूप से बॉट दिया जाएगा तथा बचा हुआ चालीस प्रतिशत धन संबंधित प्रदेश परिषद की सिफारिश पर आवश्यकता अनुसार विभिन्न पंचायतों को दिया जाएगा।

केन्द्र सरकार से धन सीधे पंचायत सरकार के खातों में आयेगा तथा बीच मैं कोई मध्यस्थ नहीं होगा। ऐसे कार्य जो प्रदेश परिषद के माध्यम से क्रियान्वित होंगे उनका व्यय संबंधित पंचायतों द्वारा अपने–अपने हिस्से के अनुपात में वहन किया जाएगा।

(ड) भारतवर्ष की नागरिकता भी पंचायत द्वारा ही दी जाएगी परन्तु यह नागरिकता पंचायत की नहीं वरन् देश की ही होगी।पंचायत द्वारा अपने प्रत्येक नागरिक का पंजीकरण किया जाएगा, तथा उसका सम्पूर्ण ब्यौरा रखा जाएगा तथा प्रत्येक नागरिक को बहुद्देश्यीय नागरिकता कार्ड दिया जाएगा।

60. अर्थव्यवस्था

उत्पादन ही अर्थ है। किसी विशेष प्रक्रिया द्वारा कम उपयोगी वस्तुओं को अधिक उपयोगी वस्तुओं में बदलने की क्रिया सार्थक श्रम या परिश्रम है तथा अधिक उपयोगी वस्तु उत्पाद है इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यापक अर्थों में जीवन को बेहतर बनाने वाली हर प्रक्रिया उत्पादन है। एक उत्पाद के विनियम का माध्यम मुद्रा है तथा उत्पादों का आपसी अनुपात ही कीमत है। किसी भी वस्तु की/उत्पाद की कीमत का सार्थक श्रम के अलावा अन्य कारकों पर निर्भर करना अवांछनीय है।

अतः प्रत्येक व्यक्ति को सार्थक श्रम करने के पर्याप्त अवसर मिलने चाहिये तथा श्रम की उचित कीमत प्राप्त होनी चाहिये। इसके लिए हमें उत्पादन की प्रक्रिया, उत्पादन के साधन, उत्पाद की कीमत, उत्पादक ,उपभोक्ता व उत्पाद के मध्य संबंधों को व्यवस्थित करना होगा।

61. राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण

राज्य द्वारा अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण के निम्न चार तरीके हो सकते हैं –

1. उत्पादन पर कोई नियंत्रण नहीं (पूँजीवाद)
2. उत्पादन पर पूर्ण स्वामित्व (समाजवाद या साम्यवाद)
3. उत्पादन पर आंशिक नियंत्रण (मिश्रित अर्थव्यवस्था)
4. उत्पादन पर युक्ति पूर्ण नियंत्रण (गतिक साम्यता)

(1) पहली अवस्था अराजकता की अवस्था है जिसमें कुछ लोग कई लोगों के सार्थक श्रम का अपहरण कर लेते है इस व्यवस्था में समाज तो आगे बढ़ता है पर घोर आर्थिक विषमता रहती है।

(2) दूसरी अवस्था में व्यक्ति की घोर उपेक्षा होती है व व्यक्ति का स्वामित्व न होने से उसका लगाव नहीं रहता व समर्पण कम हो जाता है तथा अन्त में व्यवस्था असफल हो जाती है।

(3) तीसरी अवस्था में धीरे–धीरे पूँजीवादी तत्व शक्तिशाली होते जाते हैं। यह व्यवस्था विकास के शुरूआती (प्रथम) दौर के लिए तो उपयुक्त होती है परन्तु धीरे–धीरे इसके दुष्परिणाम सामने आते हैं जिसमें गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व अनैतिकता प्रमुख हैं। इस प्रकार उक्त तीनों अवस्थाएँ परिस्थितियों के अनुसार विकास के शुरूआती दौर के लिए तो उपयुक्त हो सकती हैं पर अन्त में असफल हो जाती हैं।

(4) चौथी अवस्था, जो कि गतिक साम्यता की अवस्था है, में स्वामित्व तो व्यक्ति का बना रहता है परन्तु सरकार का युक्तिपूर्ण नियंत्रण रहता है। उत्पादन व्यक्तिगत स्वामित्व में परन्तु, सरकार के युक्तिपूर्ण नियंत्रण में होने के कारण साम्य बिन्दु पूँजीवादी या शक्तिशाली लोगों के पक्ष में नही जा पाता तथा सरकार इसे परिस्थितयों की आवश्यकतानुसार नियंत्रित करती रहती है।

यदि यह नियंत्रण धर्मसम्मत तथा विवेकपूर्ण हो तो यह आस्तिक गतिक साम्यता की अवस्था है सरकार इसी चौथी आस्तिक गतिक साम्यता की व्यवस्था के अनुसार कार्य करेगी।

62. राज्य की आय का प्रमुख साधन कर तथा व्यय का एक मात्र मद लोक कल्याण होगा।

63. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा : (1) राज्य एसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करें, भरसक प्रभावी रूप से स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा।

(2) राज्य, विशिष्टतया, आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा और न केवल व्यष्टियों के बीच बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले और विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूहों के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानाता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

64. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व– राज्य अपनी नीति का, विशिष्टतया, इस प्रकार संचालन करेगा कि सुनिश्चित रूप से –

(क) पुरुष और स्त्री सभी नागरिको को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो ;

(ख) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बँटा हो जिसमें सामुहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो ;

(ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन–साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संक्रेन्द्रण न हो ;

(घ) पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो ;

(ङ) पुरुष और स्त्री कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को एसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हों ;

(च) बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ्य विकास के अवसर और सुविधायें दी जाएँ और बालकों और कम–उम्र व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए।

65. (1) पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा – राज्य देश के पर्यावण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा।

(2) राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण – संसद द्वारा बनायी गयी विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व वाले (घोषित किए गए) कलात्मक या ऐतिहासिक अभिरुचि वाले प्रत्येक संस्मारक या स्थान या वस्तु का, यथास्थिति, लुंठन, विरूपण, विनाश, अपसारण, व्ययन या निर्यात से संरक्षण करने का प्रयास करना राज्य का कर्तव्य होगा ।

लोक कल्याणकारी कार्य

66. (1) राज्य अनाथ बच्चों (18 वर्ष तक आयु के) और अक्षम लोगों की देखरेख हेतु अनाथ आश्रम चलायेगा जिसमें भोजन, वस्त्र, आवास की व्यवस्था निःशुल्क होगी। अनाथ आश्रम की देख–रेख उपराज्य द्वारा की जायेगी।

(2) ऐसे लोग जिन्हें किसी भी प्रकार की पेंशन मिलती है किसी भी निजी या सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्था में नियुक्त नहीं किये जा सकेंगे तथा ऐसी नियुक्ति कर्मचारी तथा नियोजक दोनों के लिए दण्डनीय अपराध होगा।

(3) ऐसे सभी वृद्ध जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती, उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी।

67. (1) शिक्षा, चिकित्सा तथा न्याय निःशुल्क होगा।

(2) सभी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करना सरकार का दायित्व होगा तथा इसमें असफल रहने पर सरकार को पीड़ित पक्ष की क्षतिपूर्ति करनी होगी।

68. वेतनमान

(1) लोकसभा द्वारा न्यूनतम वेतनमान तय किया जाएगा जो कि समग्र रोजगार प्रक्रम के सबसे निचले स्तर के कर्मचारी को देय होगा।

(2) राष्ट्राध्यक्ष का वेतनमान न्यूनतम वेतनमान का दस गुना होगा।

(3) सभी निर्वाचित व मनोनीत पदों तथा सभी प्रकार के सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थानों के कर्मचारियों तथा लोकसेवकों आदि का वेतनमान राष्ट्राध्यक्ष के वेतनमान तथा उक्त न्यूनतम वेतनमान के बीच का होगा, जिसका कि अनुपात नियत होगा तथा वेतन वृद्धि की दर भी उक्त न्यूनतम वेतनमान के अनुपात में ही निर्धारित होगी।

(4) न्यूनतम वेतनमान के अलावा कोई वेतनमान/वेतन निर्धारित नहीं किया जाएगा बल्कि न्यूनतम वेतनमान से अनुपात ही निर्धारित किया जाएगा।

विविध

69. संविधान के उपबन्धों के अधीन गठित किसी भी प्रकार के बहुसदस्यीय पीठ, बोर्ड, आयोग के अध्यक्ष को संबधित पीठ, बोर्ड, आयोग के सदस्यों के बहुमत की राय के अनुसार ही कार्य करना होगा।

70. (1) सरकार की कोई कार्यवाही गोपनीय नहीं होगी परन्तु संविधान सभा द्वारा स्वीकृत विषय अधिकतम दो वर्ष के लिए गुप्त रखे जा सकेंगे।

(2) प्रेस पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी तथापि कार्यपालिका किसी भी विषय को अधिकतम छः माह के लिए सेंसर कर सकेगी।

71. राज्य सभी धर्मों के उपदेश की बगैर किसी पक्षपात के व्यवस्था करेगा।

72. किसी भी प्रकार के दान या अनुदान देने पर किसी भी प्रकार के करों में किसी प्रकार की छूट नहीं होगी।

73. विश्वशान्ति तथा विश्व बन्धुत्व के लिये विश्व सरकार ही हमारा अन्तिम लक्ष्य है।

अध्याय – तृतीय

दीर्घकालीन नीति निर्देशक तत्व

74. शिक्षा नीति

शिक्षा का उद्देश्य

शिक्षा का उद्देश्य है–

(1) व्यक्ति को उचित तथा अनुचित में भेद करने योग्य बनाना

(2) उसकी प्रवृत्तियों को धनात्मक दिशा में प्रेरित करना ताकि वह उचित के पक्ष तथा अनुचित के विरोध में प्रवृत्त हो।

(3) उसके अन्दर छिपी मूलभूत प्रतिभा को बाहर निकालना व निखारना तथा ऐसा करने में उसकी मदद करना ताकि वह अपनी प्रवृत्ति तथा प्रतिभा के अनुरूप अपना लक्ष्य निर्धारित करे।

(4) उसे मानव समाज द्वारा अभी तक अर्जित उस ज्ञान–विज्ञान तथा तकनीकी से सुसज्जित करना जो उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मददगार हो। इस प्रकार शिक्षा का उद्देश्य है अच्छाई की विजय। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु शिक्षा के दो भाग होंगे औपचारिक शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा।

(क) औपचारिक शिक्षा

(1) शिक्षा व्यय में किसी प्रकार की कटौती नहीं की जायेगी। धन की कमी होने पर रक्षा व्यय के उपरांत शेष आय का कम से कम पच्चीस प्रतिशत अनिवार्य रूप से बुनियादी शिक्षा को देना होगा।

(2) औपचारिक शिक्षा के दो स्तर होंगें बुनियादी शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा। बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम 12 वर्ष का होगा।

(3) शिक्षक बच्चों का भविष्य बनाते हैं व बच्चे देश का। अतः शिक्षा के क्षेत्र में प्रारम्भिक कक्षाओं से ही अत्यन्त प्रतिभाशाली, चरित्रवान व समर्पित शिक्षक आवश्यक हैं, अतः शिक्षकों का वेतन व सुविधायें तथा सेवा की शर्तें देश की अन्य सभी सेवाओं से बेहतर होंगी।

(4) प्रत्येक पंचायत में बारहवीं कक्षा के स्तर का एक विद्यालय होगा तथा इससे निम्न स्तर का कोई विद्यालय नहीं होगा।

(5) बुनियादी शिक्षा अनिवार्य तथा पूर्णतया निःशुल्क होगी। छात्रों को विद्यालय से ही पाठ्यपुस्तकें, कॉपियाँ, कागज ,पेन व अन्य पाठ्यसामग्री निःशुल्क दी जायेगी। यह व्यय केन्द्र सरकार वहन करेगी।

(6) सभी छात्रों को दो जोड़ी शाला वेश (प्रतिवर्ष) ,अल्पाहार तथा दोपहार का भोजन विद्यालय की ओर से निःशुल्क दिया जाएगा तथा यह व्यय पंचायत सरकार वहन करेगी।

(7) शिक्षा का माध्यम छात्र की इच्छानुसार उपराज्य भाषा या हिन्दी या अंग्रेजी होगा। यदि माध्यम उपराज्य भाषा या हिन्दी होगा तो पारिभाषिक शब्द अंग्रेजी के ही यथावत् रहेंगे।

(8) जीवन के व्यावहारिक व उपयोगी विषयों की ही शिक्षा दी जाएगी तथा अनावश्यक पढ़ाई का बोझ नहीं बढ़ाया जाएगा।

(9) सभी छात्रों को समान रूप से ही सभी प्रमुख धर्मों (मतों) की तथा धर्मसभा द्वारा निष्कर्षित सर्वसम्मत सिद्धान्तों की शिक्षा दी जाएगी।

(10) सभी छात्रों को सैनिक शिक्षा भी दी जाएगी।

(11) सम्पूर्ण देश में एक समान पाठ्यक्रम होगा। उपराज्य भूगोल व उपराज्य इतिहास का पाठ्यक्रम उपराज्य द्वारा निर्धारित होगा।

(12) बुनियादी शिक्षा पूर्ण होने पर सरकार दो वर्ष में रोजगार देने की गारण्टी देगी तथा रोजगार न मिलने तक बेरोजगारी भत्ता देगी जो तत्कालीन मंहगाई के हिसाब से एक व्यक्ति के निर्वाह के लिए समुचित होगा।

(13) जिसे दो वर्षों में रोजगार न दिया जा सकेगा वह समग्र रोजगार प्रक्रम में उसकी योग्यतानुसार नियुक्ति का पात्र होगा।

(14) इन दो वर्षो में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएँ ली जाकर विभिन्न निजी व्यवसायों व सरकारी, अर्द्धसरकारी या निजी सेवाओं के योग्य छात्रों को चयनित किया जाएगा। इस चयन को ही नियुक्ति समझा जाएगा तथा प्रशिक्षण व्यय या तो सरकार वहन करेगी या नियोजक।

(ख) अनौपचारिक शिक्षा

(1) संविधान सभा अनौपचारिक शिक्षा हेतु दिशा निर्देश तय करेगी।

(2) अनौपचारिक शिक्षा का निष्पादन

अनौपचारिक शिक्षा के निष्पादन में निम्न संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी।

(i) सम्प्रदाय

सम्प्रदाय हमेशा हमेशा से अनौपचारकि शिक्षा में अपनी सर्वाधिक भूमिका अदा करता आया है तथा ऐसे ही करता रहेगा। यद्यपि सम्प्रदाय पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा तथापि सम्प्रदाय से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस हेतु संविधान सभा द्वारा जारी निर्देशों का घ्यान रखे।

(ii) गैरसरकारी तंत्र

मीडिया, साहित्य जगत, फिल्म जगत, विभिन्न समाज सेवी संगठन तथा इसी प्रकार की अन्य संस्थाएँ अनौपचारिक शिक्षा का सशक्तक माध्यम हैं अतः इन्हे संविधान सभा द्वारा जारी दिशा निर्देशो का कड़ाई से पालन करना होगा।

(iii) सरकारी तंत्र

सरकार समय व आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये विभिन्न प्रकार से अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था करेगी

75. धर्मसभा

(1) संविधान सभा के अधीन एक धर्मसभा होगी जिसका संयोजक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होगा लेकिन धर्मसभा में कोई सदस्य नहीं होगा।

(2) धर्मसभा सभी सम्प्रदायों के धर्माचार्यों के बीच विचार विमर्श की व्यवस्था करेगी जिसका विभिन्न संचार साधनों के माध्यम से सीधा प्रसारण किया जाएगा।

(3) धर्मसभा सभी सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों (धर्माचार्यों) के बीच हुए विचार विमर्श से निष्कर्षित विज्ञानसम्मत तथा सर्वसम्मत निष्कर्षों एवं सिद्धान्तों की जनता को उपदेश की तथा छात्रों की शिक्षा की व्यवस्था करेगी।

(4) इसके कार्यक्रमों में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को किसी प्रकार का वेतन, पारिश्रमिक या भत्ता देय नहीं होगा।

(5) धर्मसभा का अपने कार्यक्रमों के संचालन हेतु एक सचिवालय तथा सचिवीय कर्मचारीवृन्द होगा।

76. रक्षा नीति

यह राष्ट्र जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है क्योंकि इसकी हल्की सी उपेक्षा भी देश के वर्तमान तथा भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। चाहे आदर्श कुछ भी हों पर व्यवहार में यही देखा जाता है कि विश्व में शक्तिशाली की ही पूजा होती है, अतः हम आदर्शवादी पक्ष के बजाय व्यवहारिक पक्ष को विशेष महत्व देते हैं। हमारी रक्षा नीति के मूल बिन्दु निम्न हैं :–

(क) वर्तमान में युद्धों में हथियारों व तकनीक का महत्व अत्यधिक होता है तथा युद्धों में ही शान्ति के बीज निहित हैं अतः हम हथियारों के आधुनिकीकरण व उत्पादन में तेजी लाने तथा हथियारों के उत्पादन में शीघ्रातिशीघ्र आत्मनिर्भर बनकर इसके आयात से मुक्ति पाने के पक्षधर हैं।

(ख) हम विश्व विनाश के सपने तो नहीं देखते, पर कमजोरी भी हिंसा को जन्म देती है अतः हमें अन्तराष्ट्रीय दबाव की चिन्ता किए बगैर हथियारों के अनुसंधान एवं विकास को विशेष वरीयता देना चाहिये।

(ग) परमाणु हथियार व उससे भी शक्तिशाली, मारक व घातक हथियार बनाने चाहिये तथा परमाणु हथियारों के विकल्प हेतु अनुसंधान तेज करना चाहिए।

(घ) जल सीमा में हमारे सुदूर टापुओं पर नो–सैनिक अड्डे बनाने चाहिये।

(ड) देश की सीमा पर एक सुरक्षा पट्टी बनाकर इसे केन्द्र सरकार के नियंत्रण में देना चाहिये।

(च) जब किसी देश के साथ युद्व अनिवार्य हो जाये तो हमें रक्षात्मक नीति न अपनाकर आक्रामक नीति अपनाना चाहिये।

77. विदेश नीति –

(1) हम 1947 में हुए विभाजन को हिन्दु मुस्लिम वैमनस्य पर आधारित नहीं मानते तथा यह मानत हैं कि वेद और कुरान समेत सभी धर्मग्रन्थ मूलतः एक ही श्रृंखला के ग्रंथ है तथा मौलिक रूप से एक ही संदेश देते है अतः हिन्दु और मुस्लिम एक राष्ट्र हो सकते हैं।

(क) हम 14 अगस्त, 1947 के विभाजन को अमान्य करते हैं तथा भारत, पाकिस्तान व बांग्लादेश के पुनर्विलय के पक्षधर हैं तथा इस हेतु शान्ति प्रयास व आवश्यक हो तो सैनिक प्रयास के भी पक्षधर हैं। हम शिमला समझौते को भी अमान्य करते हैं।

(ख) कश्मीर समस्या मूलतः दो समस्याओं के आपस में उलझने से बनी है । पहली समस्या तो भारत पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है जिसका कारण अंग्रेजों द्वारा किया गया धूर्तता– पूर्ण विभाजन, कश्मीर के तत्कालीन राजा द्वारा कश्मीर के भारत में विलय व तदुपरांत जवाहर लाल नेहरू द्वारा जनमत संग्रह की घोषणा है। भारत– पाक विलय ही इसका समाधान है। कश्मीर की दूसरी समस्या कुप्रशासन के कारण उपजा जन अंसतोष है जिसकी तुलना हम नक्सलाइट समस्या, नागालेण्ड की समस्या या खालिस्तान समस्या से कर सकते हैं।

(2) भारतीय उपमहाद्वीप के सभी देशों का एक ऐसा संघ बनाना चाहिये जिसमें सबकी रक्षा नीति तथा विदेश नीति एक समान हो, परस्पर उदार आर्थिक संबंध हो तथा अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में हमारी संयुक्त टीम भाग ले। सारांशतः ये सभी देश अपने आप में स्वतंत्र इकाई तो बने रहें पर अन्तराष्ट्रीय मंच पर एक देश की तरह व्यवहार करें तथा मुक्त व्यापार व एक मुद्रा की दिशा में कदम बढ़ायें।

(3) हम सभी दशों के बीच समानता के पक्षधर हैं अतः संयुक्त राष्ट्र संघ की भेदभाव पूर्ण सदस्यता का विरोध करते हैं तथा संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता तथा वीटो पावर की मांग करते हैं। ऐसा न होने पर हम संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता त्याग देगें।

(4) हम विश्व में शक्ति संतुलन के सिद्धान्त पर विश्वास करते हैं तथा किसी के पिछलग्गू नहीं बनना चाहते अतः हम भारत को एक विश्व महाशक्ति के रूप में देखना चाहते हैं।

(5) रूस के साथ मैत्री संबंध और मजबूत बनाना चाहिए तथा व्यापक रक्षा समझौता करना चाहिये।

(6) चीन के प्रति उदासीन नीति अपनानी चाहिये तथा परिस्थितियों को देखते हुए अमेरिका की बढ़ती निरंकुशता पर रोक लगाने हेतु चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए

(7) विश्व के किसी भी शक्तिशाली अथवा प्रभावशाली देश द्वारा कमजोर देश के खिलाफ किसी भी प्रकार की दुर्भावना पूर्ण तथा अनैतिक कार्यवाही में पीड़ित देश का यथासंम्भव साथ देना चाहिये।

(8) भारत से विश्व के किसी भी कोने में गये लोगों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। अतः हम उन पर होने वाले अत्याचारों का हर सम्भव विरोध करेंगें चाहे वे पाकिस्तान के मुजाहिदीन हों, चाहे बंग्लादेश के बोद्ध व चकमा हों, चाहे श्री लंका के तमिल हों या कोई और।

(9) गुलामी के चिन्ह कॉमनवेल्थ का बहिष्कार करेगे।

अध्याय चतुर्थ
अस्थायी नीति निर्देशक तत्व

78. पंचायत के क्षेत्राधिकार

पंचायत का कार्य क्षेत्र बहुत व्यापक होगा तथा यह संक्षेप में निम्नानुसार होगा –

(1) विद्यालय की देखरेख

पंचायत विद्यालय के रख–रखाव की व्यवस्था करेगी तथा छात्रों को भोजन तथा वस्त्र उपलब्ध कराएगी।

(2) रोजगार

यह पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि वह अपनी पंचायत के सब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए।

(क) पंचायत अपने स्तर पर आवश्यतानुसार उद्योगों का विकास करेगी इस हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन कर उन्हें अपने खर्च से प्रशिक्षण दिलायेगी, उद्योग हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराएगी तथा माल की बिक्री हेतु बाजार उपलब्ध करवाएगी।

(ख) पंचायत अपने स्तर पर रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने का प्रयास करेगी।

(ग) केन्द्र सरकार के समग्र विकास प्रक्रम की प्रत्येक पंचायत में एक शाखा होगी। काम चाहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित वेतन श्रृंखला में काम दिया जाएगा

(3) कृषि

कृषि का सम्पूर्ण कार्य केन्द्र सरकार की योजना से ,उपराज्य परिषद की देखरेख में पंचायत द्वारा सम्पन्न होगा। सम्पूर्ण कृषि योग्य जमीन को सिंचित करना केन्द्र सरकार के खर्चे से पंचायत सरकार की देखरेख में सम्पन्न होगा। चारागाह व्यवस्था भी पंचायत को देखनी होगी।

(4) विद्युत व जल

प्रत्येक पंचायत के पास अपने विद्युत गृह होगें जिनमें सौर उर्जा, गोबरगैस, पवन उर्जा, जल उर्जा व अन्य सभी सम्भव साधनों से बिजली का उत्पादन होगा। विद्युत की कमी की पूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा उत्पादित बिजली से की जाएगी। जल वितरण की व्यवस्था भी पंचायत को ही देखनी होगी।

(5) जनस्वास्थ्य

प्रत्येक पंचायत के नियंत्रण में एक चिकित्सालय होगा जिसमें सभी को चिकित्सा परामर्श तथा दवाइयाँ निःशुल्क दी जायेंगी।

(क) कोई भी आवश्यक दवा किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा नहीं बेची जाएंगी।

(ख) प्रत्येक चिकित्सालय में कम से कम एक डॉक्टर व एक महिला डॉक्टर अवश्य होंगे।

(ग) प्रत्येक पंचायत अपनी जनसंख्या भी स्वयं ही नियंत्रित करेगी।

(6) उपभोक्ता भण्डार

पंचायत स्तर पर एक उपभोक्ता भण्डार होगा जहाँ दैनिक अनिवार्य आवश्यकता की प्रत्येक वस्तु की कम से कम एक वैरायटी हमेशा उपलब्ध रहेगी। इन वस्तुओं की खरीद की कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं होगी अर्थात कोई राशनिंग या कन्ट्रोल नहीं होगा।

(7) पंचायत बैंक –

प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर पंचायत बैंक की एक शाखा होगी जो व्यावसायिक जरूरतों के साथ–साथ निजी जरूरतों के लिए भी ऋण उपलब्ध करायेगी । सीमित अवधि के लिये सीमित ऋण बगैर ब्याज के उपलब्ध कराया जाएगा।

(8) कानून व्यवस्था

प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर एक पुलिस स्टेशन होगा जिसमें कम से कम एक सब–इन्सपेक्टर, एक हैड कान्सटेबल, तीन कान्सटेबल व दो महिला कान्सटेबल होंगे। इनके सहयोग से पंचायत में कानून व व्यवस्था स्थापित करना पंचायत का काम होगा।

(9) न्याय

प्रत्येक पंचायत केन्द्र पर एक पंचायत न्यायालय होगा । इस न्यायालय में हर समय बारहों महीने सातों दिन व चौबीसों घंटे सुनवाई की जाएगी अर्थात पंचायत न्यायलय मे कभी अवकाश नहीं होगा।

79. कृषि

कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा। कृषि कार्य राज्य व किसान के बीच साझेदारी पर आधारित होगा –

(1) कृषि संबंधी सारी योजनएँ केन्द्र सरकार द्वारा उपराज्य स्तर पर बनायी जायेंगी। केन्द्र सरकार देश की आवश्यकता अनुसार उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित करेगी। उपराज्यों को उनकी व्यवस्था के अनुसार लक्ष्य दिये जाएँगे।

(2) योजनाएँ पंचायत स्तर पर क्रियान्वित की जायेंगी। प्रत्येक किसान को उपराज्य द्वारा निर्धारित अनुपात में ही फसल बोनी होगी।

(3) प्रत्येक उपराज्य के पास एक कृषि वैज्ञानिक होगा। इसके सहयोग हेतु पंचायत स्तर पर अन्य सहयोगी होंगे । कृषि का सम्पूर्ण कार्य सारे किसान इसकी देखरेख में करेगे।

(4) सम्पूर्ण कृषि योग्य भूमि पर सिंचाई के साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार की होगी व इस हेतु किसानों से न तो कोई व्यय लिया जाएगा व न ही उन पर कोई कर्जा थोपा जाएगा।

(5) सभी किसानों को बीज, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशी दवाइयाँ, बिजली व पानी राज्य द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएँगे। आवश्यकता से अधिक पानी व बिजली का उपयेाग करना दण्डनीय अपराध होगा। सिंचाई तथा बिजली का खर्च पंचायत सरकार वहन करेगी जबकि बीज, रसायनिक उर्वरकों, कीटनाशी दवाईयों का तकनीकी सम्बन्धी खर्च केन्द्र सरकार वहन करेगी।

(6) सम्पूर्ण फसलों पर बीमा योजना लागू होगी।

(7) उपभोक्ता भण्डारों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पर कृषि उत्पाद खरीदे एवं बेचे जाएँगे। निजी व्यापारी भी यह काम करते रहेंगे। उपभोक्ता भण्डारों द्वारा खरीदे जाने या बेचे जाने वाले कृषि उत्पाद की कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं होगी।

(8) फसल की बुआई के समय ही संबंधित उत्पाद का क्रय मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा।

80. उद्योग नीति

(1) सभी भारी उद्योगों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होगा तथा ये केन्द्र सरकार के नियन्त्रण में सार्वजनिक निगमों या सार्वजनिक कम्पनियाँ द्वारा चलाये जाएँगे।

(2) वृहत उद्योग सार्वजनिक निगमों, सार्वजनिक कम्पनियों या निजी कम्पनियों द्वारा चलाये जाएँगे।

(3) उच्च मध्यम उद्योग सार्वजनिक कम्पनियों अथवा निजी कम्पनियों के स्वामित्व में रहेंगे।

(4) मध्यम उद्योग या तो निजी कम्पनियों के स्वामित्व में होंगे या व्यक्तिगत साझेदारी में होंगें।

(5) कुटीर उद्योगों को तकनीकी व आर्थिक सहायता देकर लघु उद्योगों के स्तर पर लाया जाएगा। कोई उद्योग कुटीर उद्योग नहीं रहेगा।

(6) लघु उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में ही रहेगें तथा सरकार द्वारा भी नौकरियों की तरह ही चयनित व्यक्तियों को आंवटित किये जाएंगे।उन्हें इस हेतु पर्याप्त कार्यशील पूंजी सरकार अल्प ब्याज दर (पाँच प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच) पर उपलब्ध कराएगी। भूमि, भवन तथा संयंत्र सरकार के होगें तथा सरकार इनका औचित्य पूर्ण किराया लेगी।

(7) अधिक खपत वाले ऐसे सभी उत्पाद जिनकी गुणवत्ता में साधारण परिवर्तन होने से विशेष अन्तर नहीं पड़ता केवल लघु उद्योग के अन्तर्गत आएंगे।

(8) श्रम नीति –

(क) श्रम का सही पुर्नमूल्यांकन इस प्रकार होगा कि किसी भी वस्तु की लागत में कम से कम आधा भाग श्रम का होगा।

(ख) उद्योगों में श्रमिकों की साझेदारी होगी।

(ग) न्यूनतम मजदूरी दर कम से कम इतनी अवश्य होगी कि चिकित्सा विज्ञान द्वारा निर्धारित संतुलित भोजन प्राप्त करने के लिये किसी भी परिवार को अपनी कुल आय का पचास प्रतिशत से अधिक खर्च नहीं करना पड़े।

81. तकनीकि व विज्ञान

यह विभाग शिक्षा आयोग के सहयोग से कार्य करेगा तथा इसे भी शिक्षा के समान ही वरीयता दी जाएगी परन्तु यह प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार में होगा।

82. रोजगार

(1) एक ''समग्र विकास प्रक्रम'' नामक विभाग होगा जिसकी प्रत्येक पंचायत स्तर पर शाखाएँ होंगी। ऐसे सारे लोग जो किसी भी प्रकार का सरकारी अथवा निजी रोजगार न पा सकेंगे तथा बेरोजगार होंगे उन्हें इसमें योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा।

(2) इसके अलावा ऐसे लोग जिनका व्यवसाय या उद्योग किसी कारण से अव्यवस्थित अवस्था में चल रहा होगा तथा ऐसे लोग जो किसी अन्य कारण से बेरोजगार अथवा आंशिक बेरोजगार हो गये होंगे वे भी इसमें काम पाने के अधिकारी होंगे। ऐसे लोग यहाँ दैनिक अथवा मासिक आधार पर भी काम कर सकेंगे लेकिन दैनिक आधार पर काम करने की स्थिति में वे साप्ताहिक अवकाश, अन्य सवैतनिक अवकाश, पी.एफ. तथा अन्य ऐसी सुविधाएँ पाने के अधिकारी नहीं होंगे जो स्थायी कर्मचारियों को दी जाती हैं।

(3) यह विभाग किसी भी व्यक्ति को किसी भी आधार पर काम देने से मना नहीं कर सकेगा चाहे इसके पास काम हो अथवा नहीं, चाहे इसके पास पद खाली हों अथवा नहीं।

(4) समय विकास प्रक्रय में केन्द्रीय वेतनामन लागू होगा। मंहगाई भत्ते की दर स्थानीय मंहगाई के आधार पर निर्धारित होगी।

83. सरंक्षण

समाज के ऐसे वर्ग जो किसी भी कारण वश शेष समाज से समाजिक या शैक्षणिक दृष्टि से या संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किसी अन्य दृष्टि से पिछड़ गये होंगे, उन वर्गों के लोगों को समाज के अन्य लोगों के समकक्ष लाने हेतु राज्य अन्य लोगों के मूल अधिकारों को प्रभावित किये बगैर तब तक विशेष संरक्षण प्रदान करेगा जब तक कि संबंधित वर्ग का उक्त पिछड़ापन समाप्त नहीं हो जाता, परन्तु संरक्षण के तहत दी जाने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा उस वर्ग के केवल चुनिन्दा या सीमित लोगों को नहीं वरन् उस वर्ग के सभी लोगों को समान रूप से दी जाएगी सिवाय उन व्यक्तियों के जिनका कि उक्त पिछड़ापन समाप्त हो चुका होगा। इस प्रकार शीघ्रातिशीघ्र जाति व मजहब के सभी प्रकार के भेदभाव से रहित समतापूर्ण समाज की रचना ही संरक्षण का लक्ष्य होगा।

जब तक किसी समुदाय विशेष को संरक्षण के प्रभावी परिणाम नहीं मिल जाते तब तक उस समुदाय को आरक्षण का लाभ पूर्ववत दिया जाता रहेगा तथा तदुपरान्त उस समुदाय को जनमत संग्रह द्वारा यह निर्णय करना होगा कि उसे आरक्षण चाहिए या संरक्षण।

संक्रान्ति एक ऐसी शाश्वत क्रान्ति की अवस्था है जिसमें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सभी संयुग्मी पक्षों के बीच लगातार अन्योन्य क्रिया चलती रहेगी। परिवर्तन की इस प्रक्रिया के लगातार चलने से कभी कोई भी प्रावस्था अपनी विरोधी प्रावस्था पर हावी नहीं हो सकेगी तथा समय की आवश्यकतानुसार साम्य बिन्दु स्वतः परिवर्तित होता रहेगा । जिससे व्यवस्थाओं में प्रदूषण की प्रक्रिया हमेशा–हमेशा के लिये समाप्त हो जाएगी।

भाग–5

मूल अधिकार

84. किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण दण्डनीय अपराध होगा।

85. राज्य (कार्यपालिका) संविधान सभा की स्वीकृति से निःशुल्क शिक्षा, रोजगार, स्वातंत्र्य तथा न्याय के अधिकार के अलावा किसी अन्य अधिकार का सीमित समय के लिए निलम्बन कर सकेगा।

86. किसी भी व्यक्ति या संस्था को आस्तिक गतिक साम्यतावाद के विरुद्ध गतिविधियाँ चलाने की अनुमति नहीं होगी परन्तु यह उपबन्ध अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

87. राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार को छीनती या न्यून करती हो।

88. किसी व्यक्ति की गतिविधियों पर राज्य तब तक कोई रोक नहीं लगायेगा जब तक वह दूसरे नागरिक के अधिकारों को नुकसान न पहुँचाये और न ही नुकसान पहुँचाने का अंदेशा हो।

89. राजनैतिक दल के अलावा किसी भी संस्था या संगठन को राजनीति में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेने अथवा हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

90. क्रमांक 84 से क्रमांक 89 तक के उक्त उपबन्धों के अधीन रहते हुए, किसी भी प्राणी के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पीड़न या उत्पीड़न को प्रोत्साहन देने वाले कार्य न करते हुए तथा आने वाली नई पीढ़ी के भविष्य, अधिकार तथा आजादी को संरक्षित रखते हुये सभी नागरिकों को निम्न मूल अधिकार प्राप्त होंगे–

(1) मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का अधिकार –

मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति का सभी को समान अधिकार होगा तथा संविधान सभा इस हेतु विशेष उपबन्ध कर सकेगी। गर्भाधान से जन्म तक के अधिकार सुनिश्चत करने हेतु गर्भवती माँ को विशेष सुविधाएँ दी जाएँगी जो समयानुसार संविधान सभा द्वारा तय की जायेंगी।

जन्म से लेकर बुनियादी शिक्षा समाप्ति के दो वर्ष बाद तक प्रत्येक बालक को समुचित निर्वाह भत्ता मिलेगा जो कि उसकी मँा को तथा माँ की मृत्यु की स्थिति में उसके विधिग्राह्य आश्रयदाता को दिया जाएगा।

(2) निःशुल्क शिक्षा और आजीविका प्राप्ति का अधिकार

निःशुल्क शिक्षा और आजीविका प्राप्ति का सभी को जन्मसिद्व अधिकार होगा।

(3) समता का अधिकार –

(क) किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का पक्षपात या भेदभाव नहीं किया जाएगा, तथापि महिलाओं, अवयस्कों ,विकलांगों तथा इसी श्रेणी के अन्य कमजोर लोगों की सुरक्षार्थ तथा कल्याणार्थ संविधान सभा की स्वीकृति से कार्यपालिका द्वारा नियम बनाये जा सकेंगे।

(ख) राजकीय सेवाओं में तथा ऐसे क्षेत्र जहाँ एक विशिष्ट प्रकार की योग्यता अपेक्षित हो वहाँ उनके नियोजन अथवा निर्वाचन हेतु योग्यता का निर्धारण किया जा सकेगा।

(ग) सेना, शिक्षा, राज्य संबंधी सम्मान तथा संविधान सभा द्वारा निर्दिष्ट उपाधि के अतिरिक्त राज्य किसी भी प्रकार की उपाधियाँ प्रदान नहीं करेगा। राष्ट्राध्यक्ष की अनुमति के बगैर कोई भी व्यक्ति या संस्था किसी विदेशी राज्य की उपाधि, सम्मान या पुरस्कार ग्रहण नहीं कर सकेगा।

(4) शोषण के विरुद्ध अधिकार

(क) आत्मरक्षा का तथा आत्मरक्षार्थ युक्तिसंगत हथियार जिसका निर्धारण कार्यपालिका करेगी, रखने का तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने का सभी को अधिकार होगा।

(ख) अठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बुनियादी शिक्षा समाप्ति से पूर्व किसी भी प्रकार का काम करने हेतु नियोजित नहीं किया जा सकेगा।

(ग) सभी प्रकार का बलात श्रम निषिद्ध किया जाता है परन्तु विशेष परिस्थितियों में राज्य सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित कर सकेगा।

(घ) किसी भी व्यक्ति या संस्था द्वारा किसी भी नागरिक के मूल अधिकारों का विशेषकर निजी जीवन की स्वतंत्रता का हनन करना सर्वोच्च अपराध होगा तथा इसकी कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी जो मृत्युदण्ड तक हो सकती है।

(5) स्वातंत्र्य का अधिकार

(क) आचरण स्वातंत्र्यः– प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार अपना निजी जीवन उन्मुक्त रूप से जीने की पूर्ण स्वतंत्रता होगी। किसी भी नागरिक की किसी भी प्रकार की गतिविधि पर कोई रोक तब तक नहीं लगाई जायेगी जब तक वह गतिविधि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पीड़न का कारण न बने।

(ख) सभी नागरिकों को वाक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य, शान्ति पूर्वक व निरायुध सम्मेलन का, तथा संगम या संघ बनाने का अधिकार होगा।

(ग) सभी नागरिकों को संविधान सभा द्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, निवास करने और बस जाने का तथा वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार होगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति किसी भी अपराध के लिए तब तक सिद्धि दोष नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने अपराध के रूप में आरोपित कार्य करने के समय प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण नहीं किया हो तथा अपराध किये जाने के समय प्रवृत्त विधि के अनुसाार दण्डनीय दण्ड से अधिक दण्ड का भागी नहीं होगा।

(ड़) किसी व्यक्ति को एक ही अपराध हेतु एक से अधिक बार दण्डित नहीं किया जाएगा तथा दण्ड प्राप्ति (समाप्ति) के पश्चात् उसके साथ राज्य द्वारा किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, परन्तु संविधान सभा द्वारा परिभाषित कुछ विषिष्ट सेवाओं पर यह उपबंध लागू नहीं होगा।

(च) अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता।

(छ) गिरफ्तार किये गये किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण बताए बगैर अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जा सकता व अपनी रूचि के सलाहकार से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।

(ज) प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तारी के स्थान से न्यायाधीश के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर तुरन्त निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश किया जाएगा तथा न्यायाधीश के प्राधिकार के बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा।

(6) धर्म तथा संप्रदाय की स्वतंत्रता का अधिकार

इस भाग के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए –

(क) सभी व्यक्तियों को अन्तः करण की स्वतंत्रता का और धर्म तथा संप्रदाय के अबाध रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का समान अधिकार होगा।

(ख) प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके अनुभाग को धर्म या संप्रदाय से संबंधित तथा परोपकारी प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का, अपने धर्म/संप्रदाय विषयक प्रबन्धन का, जंगम सम्पत्ति के अर्जन, स्वामित्व व प्रबंधन का तथा धर्म तथा संप्रदाय की शिक्षा की व्यवस्था का व अपने मत के प्रचार व प्रसार का अधिकार होगा।

(7) न्याय का अधिकार

(क) सभी नागरिकों को राज्य की ओर से निःशुल्क तथा शीघ्रातिशीघ्र न्याय प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ख) इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों/अधिकार में से किसी को प्रवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में समावेदन कराने का अधिकार प्रत्याभूत किया जाता है तथा इस हेतु उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश या रिट जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेष, प्रतिशेध, अधिकार पृच्छा और उत्प्रेषण रिट है, जो भी समुचित समझे निकालने की शक्ति है।

भाग –6

मूल कर्त्तव्य

91. मूल कर्त्तव्यों की अवहेलना दण्डनीय अपराध होगा।

सभी नागरिकों के निम्न मूल कर्त्तव्य होंगे –

92. किसी भी नागरिक के अधिकारों का अतिक्रमण न करना।

93. देश की सुरक्षा के प्रति खतरों की जानकारी होने पर प्रशासन को इससे अवगत कराना, प्रशासन को सहयोग देना तथा उक्त खतरों से देश की रक्षा का भरसक प्रयास करना।

94. किसी नागरिक के प्रति खतरों की जानकारी होने पर प्रशासन को इससे अवगत कराना तथा उक्त खतरों से उस नागरिक की यथा सम्भव रक्षा का प्रयास करना।

95. रक्षा प्रणाली, पुलिस, न्यायपालिका तथा प्रशासन का सहयोग करना।

96. प्रत्येक नागरिक का यह भी मूल कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, उसकी संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय मानबिन्दुओं, राष्ट्रनायकों तथा राष्ट्रगान का आदर करे।

(ख) स्वतंत्रता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे।

(ग) भारत की प्रभुसत्ता, एकता और अखण्डता की रक्षा करे और इसे अक्षुण्य रखे।

(घ) देश की रक्षा करे और आह्वान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करे।

(ड.) भारत के सभी लोगों में समरसता और भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो जाति, पंथ, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं।

(च) हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे।

(छ) प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अन्तर्गत वन, झील, नदी,और वन्य जीव हैं, रक्षा करे और उनका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे।

(ज) वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे।

(झ) सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और अनावश्यक हिंसा से दूर रहे।

(ण) व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करे जिससे राष्ट्र निरन्तर बढ़ते हुए प्रगति करे और उपलब्धि की नई ऊचाँईयों का छू ले।

भाग–7

केन्द्रीय शासन

अध्याय प्रथम –

राष्ट्रध्यक्ष और उपराष्ट्रध्यक्ष

97. भारतवर्ष का राष्ट्राध्यक्ष

भारतवर्ष का एक राष्ट्राध्यक्ष होगा।

98. राष्ट्राध्यक्ष शासन का प्रधान होगा। संविधान सभा,न्यायपालिका तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्राध्यक्ष में निहित होगी और वह इसका प्रयोग –

(i) कार्यपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री के परामर्श पर,

(ii) न्यायपालिका संबंधी शक्ति का प्रयोग सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर तथा

(iii) संविधान सभा संबंधी शक्ति का प्रयोग संविधान सभा के परामर्श पर स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा।

99. केन्द्र के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्राध्यक्ष में निहित होगा तथा वह इसका प्रयोग प्रधानमंत्री तथा रक्षामंत्री के संयुक्त परामर्श पर करेगा परन्तु संविधान सभा की स्वीकृति के बगैर इन रक्षा बलों को देश के आन्तरिक प्रशासन में नहीं लगाया जाएगा।

100. राष्ट्राध्यक्ष संविधान के अनुसार काम करने के लिए बाध्य होगा। राष्ट्रध्यक्ष का संविधान विरोधी आदेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। इस हेतु संबंधित पीठ का तीन चौथाई बहुमत अनिवार्य होगा।

101. राष्ट्राध्यक्ष संसद के संयुक्त सत्र की प्रथम बैठक में तथा लोकसभा की प्रथम बैठक में अभिभाषण करेगा।

102. किसी भी सदन द्वारा पारित विधेयक से संतुष्ट होने पर राष्ट्राध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर करेगा अन्यथा किसी भी विधेयक को संबंधित सदन में (लोक सभा या संविधान सभा में) पुनः विचारार्थ भेज सकेगा। पुनर्विचार तथा यदि संबंधित सदन चाहे तो अपेक्षित संशोधन के उपरांत विधेयक वापस आने पर राष्ट्राध्यक्ष उस पर हस्ताक्षर कर देगा।

103. राष्ट्राध्यक्ष उच्चतम न्यायालय को अपने किसी भी फैसले पर पुनर्विचार का आदेश दे सकेगा।

104. यदि राष्ट्राध्यक्ष को यह विश्वास हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण देश की सुरक्षा का, आंतरिक विघटन का या अर्थव्यवस्था डाँवाडोल हो जाने का खतरा उत्पन्न हो गया है तथा तुरन्त कार्यवाही अपेक्षित है तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श पर ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जिनका वही बल होगा जो संबंधित सदन द्वारा पारित अधिनियम का होता है, परन्तु :–

(1) ऐसे अध्यादेश हेतु संबंधित सदन द्वारा तीन दिन के भीतर अस्थाई स्वीकृति लेनी होगी तथा पैंतांलीस दिन के भीतर संविधान द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा आवश्यक संशोधन के उपरांत उक्त अध्यादेश पारित करवाना होगा। संबंधित सदन चाहे तो अध्यादेश संशोधित भी कर सकता है

या

पन्द्रह दिन के अन्दर जनमत संग्रह द्वारा निर्धारित बहुमत से आवश्यक संविधान संशोधन सहित पारित करवाना होगा।

(2) उक्त दोनों प्रक्रियाओं में से कोई भी प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हो पाने की स्थिति में अध्यादेश समय समाप्ति के साथ ही स्वतः प्रभावहीन हो जाएगा।

(3) उक्त प्रकार का कोई भी अध्यादेश संविधान सभा का विघटन या उसकी शक्ति में कमी नहीं कर सकेगा।

105. राष्ट्राध्यक्ष, ऐसे कार्य जिनकी प्रक्रिया के बारे में संविधान में कोई उपबंध नहीं है, संविधान सभा द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा चुने गये पाँच सदस्यीय परामर्श मण्डल के निर्देश पर करेगा। इस परामर्श मण्डल के सदस्यों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा।

106. राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन

(1) राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन संविधान सभा तथा लोक सभा के सदस्य तथा सभी पंचायत प्रमुख करेंगे।

(2) राष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होगा। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

(3) कोई भी व्यक्ति राष्ट्राध्यक्ष के पद पर दो बार निर्वाचित नहीं होगा।

107. राष्ट्राध्यक्ष की पदावधि

राष्ट्रध्यक्ष अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पदधारण करेगा परन्तु–

(क) राष्ट्राध्यक्ष उपराष्ट्राध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्राध्यक्ष इसकी सूचना लोकसभा के अध्यक्ष को तुरन्त देगा।

(ख) राष्ट्राध्यक्ष को उपबंधित रीति से चलाये गये महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।

(ग) राष्ट्राध्यक्ष अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक पदधारण करता रहेगा।

108. राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ

(1) कोई भी राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) पैंतालीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो।

(ग) लोक सभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो।

(2) कोई भी व्यक्ति जो भारतवर्ष सरकार के या किसी उपराज्य सरकार के या पंचायत सरकार के या उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

(3) ऐसा व्यक्ति जो विगत पाँच वर्षों से दलगत राजनीति में सक्रिय रहा होगा वह भी राष्ट्राध्यक्ष हेतु निर्वाचित नहीं हो सकेगा।

109. राष्ट्रध्यक्ष के पद के लिए शर्तें

(1) राष्ट्राध्यक्ष संसद के किसी सदन का या अन्य किसी भी प्रकार का निर्वाचित सदस्य नहीं होगा और यदि उक्त प्रकार का कोई सदस्य राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित हो जाता है तो उसका स्थान राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पद ग्रहण की तारीख से रिक्त समझा जाएगा।

(2) राष्ट्राध्यक्ष अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा।

(3) राष्ट्राध्यक्ष की परिलब्धियाँ और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किये जाएंगे।

(4) राष्ट्राध्यक्ष की परिलब्धियाँ और भत्ते संविधान सभा द्वारा निर्धारित किये जाएंगे।

110. भारतवर्ष का उपराष्ट्राध्यक्ष

राष्ट्राध्यक्ष के सहयोग हेतु भारतवर्ष का एक उपराष्ट्राध्यक्ष होगा।

111. उपराष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के लिए अर्हताएँ राष्ट्राध्यक्ष के समान होंगी।

112. राष्ट्राध्यक्ष के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करना

(1) राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु,पदत्याग या पद से हटाये जाने या अन्य कारण से पदमुक्ति/पद में हुई रिक्ति की दशा में उपराष्ट्राध्यक्ष उस तिथि तक राष्ट्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा जिस तारीख को ऐसी रिक्ति को भरने के लिए इस अध्याय के उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्राध्यक्ष अपना पद ग्रहण नहीं करता है।

(2) जब राष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होगा तब उपराष्ट्राध्यक्ष उस तारीख तक राष्ट्राध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा, जिस तारीख को राष्ट्राध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर सम्भालता है।

113. उपराष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन

उपराष्ट्राध्यक्ष का निर्वाचन संविधान सभा तथा लोकसभा के सदस्य तथा पंचायत प्रमुख आनुपातिक – प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा करेगे। ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

114. उपराष्ट्राध्यक्ष की पदावधि

उपराष्ट्राध्यक्ष अपने पद ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा परन्तु –

(क) उपराष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष को संबोधित अपने हस्ताक्षर से लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा।

(ख) उपराष्ट्राध्यक्ष, को उपबंधित रीति से चलाये गये महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकेगा।

(ग) उपराष्ट्राध्यक्ष अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी उसके उत्तराधिकारी द्वारा पद ग्रहण करने तक पदधारण करता रहेगा।

115. (1) उपराष्ट्राध्यक्ष के पद में उपराष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाये जाने या किसी अन्य कारण से हुई रिक्ति की अवस्था में भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उपराष्ट्राध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा तथा वह यह कार्य निर्धारित प्रक्रिया द्वारा नए उपराष्ट्राध्यक्ष के कार्यभार सम्भालने तक करेगा।

(2) जब उपराष्ट्राध्यक्ष अनुपस्थिति,बीमारी या अन्य कारण से अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होगा तब भारतवर्ष के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति उस तारीख तक उपराष्ट्राध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा जिस तारीख को उपराष्ट्राध्यक्ष अपने कर्त्तव्यों को फिर सम्भालता है।

116. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्राध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन

संविधान सभा ऐसी आकस्मिकताओं में जो इस अध्याय में उपबंधित नही हैं, राष्ट्राध्यक्ष के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबन्ध कर सकेगी जो वह ठीक के समझे।

117. उपराष्ट्राध्यक्ष के पद के लिये शर्तें राष्ट्राध्यक्ष के समान होंगी।

अध्याय –द्वितीय

भारतवर्ष सरकार के कार्य का संचालन

118. सरकारी कार्य का संचालन

(1) भारतवर्ष सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्राध्यक्ष के नाम से की हुई कही जाएगी।

(2) राष्ट्राध्यक्ष के नाम से किये गये और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखितों को ऐसी रीति से अधिप्रमाणित किया जाएगा जो संविधान सभा द्वारा निर्धारित हो तथा केवल लिखित तथा उक्त रीति से अधिप्रमाणित कार्यवाही ही वैध होगी।

अध्याय –तृतीय

महान्यायवादी

119. (1) राष्ट्राध्यक्ष संविधान सभा के परामर्श पर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने हेतु अर्हित किसी व्यक्ति को भारतवर्ष का महान्यायवादी नियुक्त करेगा।

(2) महान्यायवादी का यह कर्त्तव्य होगा कि वह भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्राध्यक्ष उसको समय–समय पर निर्देशित करे या सौंपे और उन कृत्यों का निर्वहन करे जो उसको इस संविधान अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदान किये गये हों।

(3) महान्यायवादी को अपने कर्त्तव्यों का पालन करने में भारतवर्ष के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में कार्रवाही सुनने का अधिकार होगा।

(4) महान्यायवादी को किसी भी सदन में बोलने का अधिकार होगा।

अध्याय –चतुर्थ

नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

120. भारत वर्ष का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक

(1) भारतवर्ष का एक नियंत्रक व महालेखा परीक्षक होगा।

(2) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक भारतवर्ष सरकार के लेखों की जाँच करेगा तथा तत्संबंधी प्रतिवेदन लोकसभा में रखेगा।

(3) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक को स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से –

(क) किसी भी सरकारी विभाग की वित्तीय जाँच करने तथा उसकी रिपोर्ट लोकसभा में प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

(ख) सरकार को खर्चों से संबंधी सलाह देने का अधिकार होगा।

(4) नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की कोई रिपोर्ट गोपनीय नहीं होगी तथा वह स्वयं किसी भी रिपोर्ट के लोकसभा में रखे जाने के उपरांत उसे समाचार माध्यम को भी जारी कर सकेगा।

अध्याय–पंचम

संसद

121. एक संसद होगी जो राष्ट्राध्यक्ष, व्यवस्थापिका (संविधान सभा) तथा कार्यपालिका (प्रधानमंत्री व उसकी मंत्री परिषद तथा लोकसभा) दोनों सदनों से मिलकर बनेगी।

122. राष्ट्राध्यक्ष को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्त्तव्य

प्रधानमंत्री का यह कर्त्तव्य होगा कि वह –

(क) केन्द्र के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं संबंधी मंत्री परिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्राध्यक्ष को संसूचित करे तथा तत्सम्बन्धी जो जानकारी राष्ट्राध्यक्ष मांगे, वह दे ।

(ख) किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किन्तु मंत्री परिषद या लोकसभा या संविधान सभा ने विचार नहीं किया है राष्ट्राध्यक्ष द्वारा अपेक्षा किये जाने पर मंत्री परिषद या लोकसभा या संविधान सभा में से जिसे भी राष्ट्राध्यक्ष चाहे उसके समक्ष विचार के लिए रखे।

भाग –8

कार्यपालिका

अध्याय –प्रथम

लोकसभा तथा प्रधानमंत्री

123. (1) कार्यपालिका के दो भाग होंगे –

(क) लोकसभा तथा (ख) प्रधानमंत्री

(2) प्रधानमंत्री तथा लोकसभा दोनों का कार्यकाल चार–चार वर्ष होगा।

124. लोकसभा की संरचना

(1) देश अनुसूची क्रमांक एक में निर्दिष्ट 540 प्रदेशों (उपराज्यों) में बँटा होगा जिनकी संख्या तथा क्षेत्र संविधान सभा द्वारा जनसंख्या, भौगोलिक कारक तथा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर विनिर्धारित, विनियमित तथा संशोधित किये जायेंगे।

(2) प्रत्येक प्रदेश से प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा एक–एक लोकसभा सदस्य चुना जाएगा।

(3) कोई भी संबंधित प्रदेश का निवासी जिसकी आयु 25 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होगी तथा संविधान सभा द्वारा निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करता होगा उस प्रदेश से लोकसभा सदस्य हेतु चुना जा सकेगा।

(4) प्रत्येक लोकसभा सदस्य संबंधित प्रदेश परिषद का चेयरमैन (अध्यक्ष) होगा तथा सम्बन्धित प्रदेश के सभी पंचायत प्रमुख इसके सदस्य होंगे।

125. प्रधानमंत्री का चुनाव

प्रधानमंत्री का चुनाव सम्पूर्ण देश की जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति से निम्न दो चरणों में किया जाएगा–

(1) प्रथम चरण में ऐसे सभी प्रत्याक्षी जो

(क) भारत के नागरिक होंगे,

(ख) जिनकी आयु पैंसठ वर्ष से कम होगी तथा

(ग) जिन्हें कम ये कम पाँच प्रतिशत लोकसभा सदस्यों का समर्थन प्राप्त होगा या जो निर्धारित बहस में प्रथम अथवा द्वितीय अथवा तृतीय स्थान प्राप्त करेगे वे उम्मीदवार बन सकेंगे।

(2) बहस की प्रक्रिया निम्न होगी–

(क) संविधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा एक ग्यारह सदस्यीय साक्षात्कार मण्डल नियुक्त किया जाएगा जिसमें से पाँच तो समाचार (मीडिया) माध्यम के प्रतिनिधि होंगे। एक रक्षा सचिव, एक विदेश सचिव, एक शिक्षा सचिव, एक उद्योग सचिव, एक कृषि सचिव तथा एक वित्त सचिव स्तर का विशेषज्ञ होगा।

(ख) ऐसे उम्मीदवार जो पाँच प्रतिशत लोकसभा सदस्यों का समर्थन हासिल न कर सकेंगे या न करना चाहेंगे उन्हें बोर्ड से खुली बहस करनी होगी। बहस का उद्देश्य प्रधानमंत्री हेतु वांछित योग्यता का आंकलन करना होगा। सभी प्रत्याक्षियों के मध्य आपस में सामूहिक वहस भी होगी। उक्त दोनों बहस का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा तथा प्रेस को भी उपस्थित रहने तथा सीधा प्रसारण करने की अनुमति होगी।

(ग) साक्षात्कार मण्डल से होने वाली बहस तथा सामूहिक बहस के विश्लेशण तथा निर्णय हेतु एक निर्णायक मण्डल होगा।

(घ) निर्णायक मण्डल की नियुक्ति संविधान सभा करेगी। पक्षपात की आशंका होने पर बहस से पूर्व ही निर्णायक मण्डल के सदस्यों को बदलवाया जा सकता है। विवाद की स्थिति में तुरन्त सर्वोच्च न्यायालय द्वारा फैसला दिया जाएगा।

(ड़) उक्त बहस में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले लोग भी प्रधानमंत्री पद हेतु प्रत्याक्षी बनेंगे।

(3) प्रथम चरण के चुनाव में सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार ने यदि कुल वैध मतों के पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त किये होंगे तो वह निर्वाचित समझा जाएगा।

(4) यदि प्रथम चरण में कोई भी उम्मीदवार कुल वैध मतों के पचास प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त नहीं कर सके तो दूसरे चरण का चुनाव होगा जिसमें प्रथम चरण में पहले तथा दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याक्षी ही उम्मीदवार बन सकेंगे तथा इस चरण में अधिक मत प्राप्त करने वाला व्यक्ति निर्वाचित समझा जाएगा।

(5) ऐसे व्यक्ति भी जो राष्ट्रद्रोह तथा अन्य जघन्य अपराध के अलावा किसी अन्य कारण से सजा प्राप्त कर रहे हैं या प्राप्त कर चुके होंगे, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकेंगे तथा चुने जाने पर प्रधानमंत्री पद की अवधि के दौरान उनकी सजा स्थगित हो जायेगी लेकिन रद्द नहीं होगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि योग्य व्यक्ति की प्रतिभा से समाज या राष्ट्र वंचित न रहे। यह छूट केवल प्रधानमंत्री पद हेतु ही होगी।

126. प्रधानमंत्री अपनी सहायता के लिये अपनी स्वेच्छा से मंत्री परिषद का निर्माण करेगा तथा ये मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यन्त पद धारण करेंगे।

127. किसी कारण से प्रधानमंत्री के पद का रिक्त होना

(1) किसी कारण से प्रधानमंत्री के पद से हटने, हटाये जाने या आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में तुरन्त चुनाव कराये जायेंगे तथा प्रधानमंत्री चुने जाने तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति प्रधानमंत्री का उत्तरदायित्व वहन करेगा, जिसकी अवधि अधिकतम दो माह होगी तथा वह केवल प्रशासनिक कार्यों की ही देखरेख करेगा तथा कोई नीतिगत निर्णय नहीं ले सकेगा।

(2) यदि पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक शेष होगा तो चुना जाने वाला नया प्रधानमंत्री केवल शेष कार्यकाल तक के लिये ही होगा व निर्धारित समय पर पुनः नए प्रधानमंत्री का चुनाव कराया जाएगा। यदि पूर्व प्रधानमंत्री का कार्यकाल दो वर्ष या इससे कम शेष होगा तो चुना जाने वाला प्रधानमंत्री शेष कार्यकाल के उपरांत अगले चार वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करेगा।

(3) यदि नया प्रधानमंत्री चुने जाने से पहले ही किन्हीं कारणों से नीति संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम प्रधानमंत्री चुना जाना आवश्यक हो या किन्हीं कारणों से अराजकता व्याप्त हो तथा दो माह के अन्दर नया प्रधानमंत्री चुना जा सकना सम्भव न हो तो संविधान सभा अध्यक्ष सहित सात सदस्यों का एक बोर्ड बना देगी जिसका अध्यक्ष शेष छः सदस्यों की सहमति से आगामी प्रधानमंत्री चुने जाने तक कार्यवाहक प्रधानमंत्री का कार्य देखेगा तथा उसे उक्त अवधि के दौरान प्रधानमंत्री के सम्पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे।

(क) उक्त बोर्ड बनने तक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति यह कार्य पूर्ववत करता रहेगा।

(ख) बोर्ड के सदस्यों तथा अध्यक्ष का चुनाव संविधान सभा के सदस्यों द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाएगा।

(4) मध्यावधि चुनाव की स्थिति में पूर्व प्रधानमंत्री यदि जीवित है तो अनिवार्य रूप से उम्मीदवार होगा तथा उसकी उम्मीदवारी की कोई शर्त नहीं होगी। यदि पूर्व प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनना चाहेगा तो उसे इस आशय का शपथ पत्र चुनाव आयोग के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा।

(5) न्यायपालिका द्वारा भ्रष्टाचार का या राष्ट्रद्रोह का दोषी पाये जाने पर प्रधानमंत्री स्वतः पदच्युत समझा जाएगा तथापि वह प्रधानमंत्री के मध्यावधि चुनाव का अनिवार्य रूप से उम्मीदवार होगा।

128. प्रधानमंत्री पद की शर्तें राष्ट्राध्यक्ष के समान होंगी।

129. संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रधानमंत्री के सभी आदेश वैध होंगे तथा ऐसे आदेश प्रधानमंत्री द्वारा इससे पूर्व जारी अन्य आदेशों की शक्ति को कम या समाप्त कर सकते हैं।

130. संविधान सभा, शिक्षा आयोग, लोकसेवा आयोग, चुनाव आयोग, धर्मसभा तथा न्यायपालिका के व इनके कार्यक्षेत्र के अलावा सम्पूर्ण विषय प्रधानमंत्री के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होंगे।

131. प्रशासन संबंधी कार्यों के लिये प्रधानमंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा।

132. संविधान में निर्धारित नियुक्तियों के अलावा सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियाँ राष्ट्राध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जावेंगी परन्तु उपराज्यपाल, जिलाधीश तथा जिला पुलिस अधिक्षक की नियुक्ति सीधे प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी। जिलाधीश तथा जिला पुलिस अधीक्षक संबंधित विभाग के ही कर्मचारी होंगे।

133. लोकसभा के क्षेत्राधिकार के विषय पर प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्राध्यक्ष अध्यादेश जारी करेगा। यह अध्यादेश लोकसभा द्वारा निरस्त किये जाने पर अथवा पैंतालीस दिन तक पारित न किये जाने पर स्वतः ही रद्द हो जाएगा।

134. प्रधानमंत्री लोकसभा सदस्यों द्वारा चाहे गए तथ्य लोकसभा के समक्ष रखने के लिए बाध्य होगा।

135. लोकसभा का प्रमुख कार्य अस्थायी नीति निर्देशक तत्वों का निर्धारण व संशोधन करना, सभी प्रकार के खर्चों सहित बजट संबंधी मामलों पर नियंत्रण करना, नये कर लगाना तथा करों की दर का पुनर्निर्धारण करना है। इस हेतु प्रस्ताव पारित करने के लिये कुल सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक है।

136. लोकसभा संविधान में उपबंधित अन्य कार्य संविधान द्वारा निर्धारित रीति से करेगी।

137. यदि कोई लोकसभा सदस्य किसी विषय पर इस प्रकार का मतदान करता है कि वह संविधान विरुद्ध है तो वह मत खारिज हो जाएगा तथा यह निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करेगा।

138. लोक सभा में लम्बित विधेयक लोकसभा के सत्रावसान या विघटन के कारण व्यपगत नहीं होगा।

139. (1) लोकसभा का एक सचिवालय तथा सचिवीय कर्मचारीवृन्द होगा। सचिवालय कार्यालय समय पर हमेशा खुला रहेगा।

(2) पंचायत,उपराज्य तथा लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के विनियमन के लिए लोकसभा नियम बना सकेगी।

140. लोकसभा को प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों की जाँच करने का अधिकार होगा परन्तु प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्यवाही न्यायपालिका या संविधान सभा द्वारा ही की जा सकेगी।

141. लोकसभा तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों,पदाधिकारियों तथा सचिवालय के कर्मचारियों, राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विभिन्न मंत्री, उपराज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश,व इसी प्रकार के सभी महत्वपूर्ण लोगों के वेतनमान, भत्ते, सेवा के नियम, शर्तें तथा अन्य संबंधित नियमों का निर्धारण लोकसभा द्वारा संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए किया जाएगा।

142. किसी भी लोकसभा सदस्य को लोकसभा में विचाराधीन विषय पर विचार रखने से रोका नहीं जा सकेगा।

143. मध्यावधि चुनाव की स्थिति में यदि पूर्व लोकसभा का कार्यकाल दो वर्ष से अधिक शेष होगा तो चुनी जाने वाली नयी लोकसभा केवल शेष कार्यकाल तक के लिये ही होगी व निर्धारित समय पर पुनः नई लोकसभा के चुनाव कराये जाएंगे। यदि पूर्व लोकसभा का कार्यकाल दो वर्ष या इससे कम होगा तो चुनी जाने वाली लोकसभा शेष कार्यकाल के उपरांत अगले चार वर्ष का कार्यकाल भी पूरा करेगी।

भाग –9

न्यायपालिका

144. भारतवर्ष का एक उच्चतम (सर्वोच्च) न्यायालय होगा जो मुख्य न्यायमूर्ति तथा छः अन्य न्यायधीशों से मिलकर बना होगा।

145. यह संविधान सभा के बाद राज्य की सर्वोच्च संस्था होगी तथा कोई इसकी अधिकार सीमा से परे नहीं होगा।

146. मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति संविधान सभा के परामर्श पर तथा अन्य न्यायधीशों की नियुक्ति संविधान सभा तथा मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

147. सभी न्यायाधीशों के सेवा के नियम संविधान सभा द्वारा बनाये व संशोधित किये जायेंगे।

148. मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति की अवस्था में राष्ट्राध्यक्ष संविधान सभा के परामर्श पर अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त करेगा जो मुख्य न्यायमूर्ति की अनुपस्थिति में मुख्य न्यायमूर्ति के कर्त्तव्य का पालन करेगा।

149. सर्वोच्च न्यायालय (उच्चतम न्यायालय) के कार्यभार बढ़ने की अवस्था में न्यायाधीशों की संख्या छः से अधिक भी हो सकती है परन्तु ऐसी अवस्था में किन्हीं सात सदस्यों का प्रत्येक मण्डल जिसमें एक अनिवार्य रूप से मुख्य न्यायमूर्ति होंगे सर्वोच्च न्यायालय माना जाएगा। ऐसे एक से अधिक मण्डल हो सकते हैं तथा किसी मण्डल के सदस्य किसी भी कारणवश दूसरे मण्डल में स्थानांतरित व मनोनीत किये जा सकते हैं। यह मण्डल स्थायी नही होगें अपितु मामले की प्रकृति के आधार पर बनाये जायेंगे तथा किसी एक मामले की पूरी सुनवाई संबंधित मण्डल ही करेगा।

150. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति –

(1) यदि किसी समय उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिये उस न्यायालय की गणपूर्ति पर्याप्त न हो तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्राध्यक्ष की पूर्व सहमति से और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करने के पश्चात किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित है और जिसे सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नामोदिष्ट करे, सर्वोच्च न्यायालय की बैठकों में उतनी अवधि के लिये, जितनी आवश्यक हो, तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उपस्थित रहने के लिये लिखित रूप से अनुरोध कर सकेगा।

(2) इस प्रकार नामोदिष्ट न्यायाधीश का कर्त्तव्य होगा कि वह अपने पद के अन्य कर्त्तव्यों पर पूर्विकता देकर उस समय और उस अवधि के लिये, जिसके लिये उसकी उपस्थिति अपेक्षित है, उच्चतम न्यायालय की बैठकों में उपस्थित हो और जब वह इस प्रकार उपस्थित होता है तब उसको उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे और वह उक्त न्यायाधीश के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा।

151. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति

(क) इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति किसी भी समय राष्ट्राध्यक्ष की पूर्वसहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पदधारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिये सम्यक् रूप से अर्हित है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति जिससे इस प्रकार अनुरोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार होगा जो राष्ट्राध्यक्ष आदेश द्वारा निर्धारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियाँ और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा।

(ख) परन्तु जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमति नहीं दे देता तब तक इस अनुच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी।

152. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपनी अवमानना के लिये दण्ड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की शक्तियाँ होंगी।

153. उच्चतम न्यायालय का स्थान

उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारतवर्ष का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्राध्यक्ष के अनुमोदन से समय–समय पर नियत करे।

154. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्राध्यक्ष की शक्ति

यदि किसी समय राष्ट्राध्यक्ष को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया है या उत्पन्न होने की सम्भावना है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिये उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा और उच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है, राष्ट्राध्यक्ष को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा।

155. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय समय–समय पर राष्ट्राध्यक्ष की सहमति से तथा संविधान सभा के साधारण बहुमत द्वारा अनुमोदन से न्यायालय की पद्धति एवं प्रक्रिया के साधारण विनियमन के लिए नियम बना सकेगा तथा इन्हें संशोधित कर सकेगा।

156. सर्वोच्च न्यायालय को प्रतिवर्ष राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा तथा लोकसभा के सम्मुख अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा जिसमें उपलब्धियों तथा कार्य में आने वाली बाधाओं का भी उल्लेख होगा।

157. सरकार, व्यवस्थापिका या कार्यपालिका यदि कोई संविधान विरोधी कार्यवाही करती है तो कोई भी व्यक्ति या संस्था इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकती है तथा दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्यवाही सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दी जाएगी तथा दोषी व्यक्ति को दण्ड भी दिया जा सकता है।

158. न्यायालय के तीन स्तर होंगे–

(1) सर्वोच्च न्यायालय

(2) उच्च न्यायालय (प्रदेश स्तर पर)

(3) पंचायत न्यायालय (पंचायत स्तर पर)

पंचायत न्यायालय

159. पंचायत न्यायालय में कम से कम एक न्यायाधीश हमेशा बारहों महीने, सातों दिन व चौबीसो घंटे उपस्थित रहेगा।

160. पुलिस द्वारा गिरफ्तार व्यक्ति गिरफ्तारी के स्थान से न्यायाधीश के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय का छोडकर तुरन्त पंचायत न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा तुरन्त कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाएगी।

161. वाद की सुनवाई के समय सम्बन्धित पंचायत की जनता के बीच से पाँच पंच चुने जाएंगे। न्यायाधीश पंचो से परामर्श कर व स्वयं अध्ययन कर अपना फैसला देगा। न्यायाधीश पंचों की राय मानने के लिये बाध्य नहीं होगा परन्तु पंचों की राय का फैसले में उल्लेख जरूर करेगा।

162. अपने अधिकार क्षेत्र के मामलों पर पंचायत न्यायालय अपना फैसला दे सकेगा तथा अन्य वादों को पंचों की राय तथा अपनी सिफारिश सहित उच्च न्यायालय में प्रेषित कर देगा।

उच्च न्यायालय

163. उच्च न्यायालय मुख्य न्यायमूर्ति तथा छः सदस्यीय न्यायाधीशों की पीठ से मिलकर बनेगा। पीठ की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है परन्तु प्रत्येक की अध्यक्षता मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा ही की जाएगी।

164. उच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र के वादों पर अपना फैसला दे सकेगा तथा अन्य वादों को अपनी सिफरिश तथा पंचायत न्यायालय की रिपोर्ट सहित सर्वोच्च न्यायालय में प्रेषित करेगा।

165. पंचायत न्यायालय के फैसले पर पुर्नविचारार्थ उच्च न्यायालय में तथा उच्च न्यायालय के फैसले पर पुर्नविचारार्थ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी।

166. किसी भी अधीनस्थ न्यायालय का फैसला उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय द्वारा गलत पाए जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत निर्णय दिये जाने के कारण की जाँच की जाएगी व प्रक्रिया संबंधी दोश होने पर उसमें केन्द्रीय स्तर पर सुधार किये जाएंगे तथा न्यायिक कर्मचारी का दोष होने पर उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी व जानबूझ कर गलत निर्णय देने वाले अथवा जानबूझ कर गलती करने वाले को मृत्युदण्ड दिया जाऐगा।

167. (क) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श पर राष्ट्राध्यक्ष द्वारा की जाएगी तथा कार्यकाल पाँच वर्ष होगा।

(ख) उच्च न्यायालय के न्यायधीशों पंचायत न्यायालय के न्यायाधीशों तथा अन्य न्यायिक कर्मचारियों की नियुक्ति लोकसेवा आयोग के परामर्श पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा की जाएगी।

विशेष उपबन्ध

168. पंचायत न्यायालय, उच्य न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान सभा के अनुमोदन से किया जाएगा।

169. (1) सभी न्यायाधीशों तथा पंचों को वादी तथा प्रतिवादी से जिरह करने का तथा अपने स्तर पर जाँच करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक स्तर के न्यायाधीशों के पास किसी भी मामले की जाँच तथा खोजबीन करने हेतु स्वयं के अधीन कर्मचारी होंगे।

(3) वादी तथा प्रतिवादी अपना पक्ष रखने हेतु किसी भी व्यक्ति का सहयोग ले सकेंगे ।

(4) न्याय पूरी तरह निःशुल्क होगा तथा किसी प्रकार का स्टाम्प शुल्क नहीं होगा।

(5) किसी भी चुने हुये जनप्रतिनिधि, रक्षा, पुलिस तथा सुरक्षा विभाग के कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी तथा न्यायपालिका के कर्मचारियों हेतु कानून अधिक सख्त होगा तथा अन्य लोगों की तुलना में इन्हें किसी भी समतुल्य अपराध पर कम से कम डेढ़ गुनी सजा का प्रावधान होगा।

उक्त किसी भी व्यक्ति के वित्तीय भ्रष्टाचार के दोषी पाये जाने पर उसकी सारी सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी तथा इस कारण से सजा प्राप्त करने वाला व्यक्ति संबंधित पद से तत्काल मुक्त समझा जाएगा तथा भविष्य में कभी भी उक्त प्रकार की सेवाओं हेतु चुना या नियुक्त नहीं किया जा सकेगा।

(6) न्यायपालिका द्वारा किसी भी चुने हुए व्यक्ति को भ्रष्टाचार या राष्ट्रदोह का दोषी पाये जाने पर वह व्यक्ति तुरन्त प्रभाव के साथ पदमुक्त हो जाएगा।

(7) सजा समाप्ति के बाद किसी व्यक्ति के साथ उक्त सजा प्राप्ति के कारण कोई भेद–भाव नहीं किया जाएगा, परन्तु संविधान सभा द्वारा परिभाषित कुछ विशिष्ट सेवाओं पर तथा इस संविधान में वर्णित कुछ विशिष्ट सेवाओं पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

170. (1) दण्ड अत्यन्त कठोर होगा परन्तु अंग–भंग की सजा नहीं होगी।

(2) संविधान में वर्णित उपबन्धों के अतिरिक्त अन्य कारण से मृत्युदण्ड केवल तभी दिया जा सकेगा जबकि अपराधी में सुधार की कोई सम्भावना नहीं हो तथा उसका जीवित रहना समाज के लिए घातक हो। अतः मृत्युदण्ड प्राप्त किसी भी अपराधी को कम से कम एक

वर्ष तक कठोर करावास में रखा जाएगा तथा साथ ही उसके लिए धर्मोपदेश की तथा मनोचिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी व अपराधी में उल्लेखनीय सुधार पाये जाने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मष्त्युदण्ड को इसी प्रकार आगे सरकाया जाएगा एवं पर्याप्त सुधार होने पर उसे मृत्यु–पर्यन्त कारावास में बदल दिया जाएगा अन्यथा मृत्यु दण्ड दे दिया जाएगा।

171. सर्वोच्च न्यायालय की भाषा हिन्दी होगी। परन्तु कोई भी पक्ष अपनी बात संबंधित प्रदेश की भाषा में भी रख सकेगा। उच्च न्यायालय तथा पंचायत न्यायालय की भाषा संबंधित प्रदेश की भाषा होगी परन्तु कोई भी पक्ष अपनी बात हिन्दी में अथवा अपने प्रदेश की भाषा में रख सकेगा।

न्याय की सार्थकता तभी है जब न्याय
सुलभ हो, मुफ्त हो और तुरन्त हो

न्याय में देर भी अंधेर है

सरकार की सफलता का
मापदण्ड है – 'न्याय'

जो फरियाद़ न कर सकें
उन्हें भी न्याय देना सरकार का काम है

भाग–10

वित्त

172. कोई कर विधि के प्राधिकार द्वारा ही अधिग्रहित या संग्रहित किया जा सकेगा अन्यथा नहीं।

173. अप्रत्यक्ष कर कम से कम लिये जाएंगे।

174. (1) भारतवर्ष के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार, वाणिज्य तथा समागम अबाध होगा तथा किसी प्रकार की चुंगी नहीं होगी।

(2) लोकसभा व्यापार, वाणिज्य या समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे प्रतिबन्ध आरोपित कर सकेगी जो लोकहित में आवश्यक हैं।

175. किसी भी प्रकार का अनुदान देने पर या किसी अन्य कारण से किसी भी प्रकार के करों में कोई राहत या छूट नहीं मिलेगी।

176. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को सम्पत्ति से वंचित न किया जाना।

यद्यपि राज्य क्षेत्र की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर राज्य का सम्पूर्ण स्वामित्व होगा फिर भी व्यक्ति को उसकी सम्पत्ति से विधि के प्राधिकार के बिना वंचित नही किया जा सकेगा।

177. भारतवर्ष सरकार, भारतवर्ष सरकार के नाम से वाद ला सकेगी या उस पर वाद लाया जा सकेगा।

178. लोकसभा संविधान के अधीन रहते हुए वित्तीय प्रक्रिया संबंधी नियम बना सकेगी जो अनुसूची क्रमांक तीन में शामिल होंगे। लोकसभा इन्हें संशोधित भी कर सकेगी।

प्रजातंत्र की सफलता के लिये
प्रत्यक्ष कर प्रणाली आवश्यक है

भाग–11

शिक्षा तथा शिक्षा आयोग

179. मुख्य शिक्षा आयुक्त सहित एक सात सदस्यीय शिक्षा आयोग होगा जिसका कार्य सम्पूर्ण देश में औपाचारिक शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्यों का संचालन करना होगा।

180. शिक्षा आयोग अपनी कार्यवाही के प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं निर्मित तथा संशोधित करेगा पर इस हेतु वह संविधान सभा के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेगा।

181. देश की सम्पूर्ण आय में से रक्षा व्यय निकालने के उपरांत शेष बची आय का पच्चीस प्रतिशत शिक्षा आयोग को प्राप्त होगा। इसके अलावा भी समय समय पर सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अथवा व्यक्तियों द्वारा शिक्षा आयोग अनुदान प्राप्त कर सकेगा।

182. शिक्षा आयोग देश में औपचारिक शिक्षा संबंधी सम्पूर्ण कार्य का संचालन नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित शिक्षा नीति के अनुरूप तथा संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वतंत्र रूप से करेगा।

183. प्रधानमंत्री या उसका प्रतिनिधि शिक्षा आयोग के कार्यों का निरीक्षण कर सकेगा, शिक्षा आयोग को सलाह तथा सहयोग दे सकेगा परन्तु शिक्षा आयोग के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा।

184. शिक्षा आयोग को प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा तथा लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा जिसमें अपनी उपलब्धियों के साथ–साथ कार्य में आने वाली बाधाओं का भी उल्लेख करना होगा।

शिक्षा के राष्ट्रीकरण के बगैर राष्ट्रीय एकता असंम्भव है

भाग–12

लोक सेवाएं तथा लोकसेवा आयोग

185. मुख्य लोकसेवा आयुक्त सहित एक सात सदस्यीय लोकसेवा आयोग होगा।

186. जिनकी नियुक्ति के संबंध में संविधान में कोई उपबंध नहीं है राज्य के कार्यकलापों से सम्बन्धित ऐसी सभी सेवाओं और पदों की नियुक्ति हेतु योग्य व्यक्तियों का चयन लोकसेवा आयोग संविधान के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए स्वतंत्र रूप से करेगा तथा ऐसे सभी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर लोकसभा द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएंगी।

187. लोकसेवा आयोग अपनी कार्यवाही के प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं निर्मित तथा संशोधित करेगा परन्तु इस हेतु वह संविधान सभा के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेगा।

188. राज्य के कार्यकलाप से संबंधित लोक सेवाओं और पदों के लिये भर्ती का और नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों का लोकसभा विनियमन कर सकेगी।

189. (1) राज्य की सेवा में नियुक्त किसी व्यक्ति को उसकी नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी द्वारा पदावनत या पदच्युत नहीं किया जाएगा।

(2) यथापूर्वोक्त किसी व्यक्ति को जाँच किये बगैर तथा सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर दिये बगैर पदावनत या पदच्युत नहीं किया जाएगा न ही उसकी सेवा की शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन किया जाएगा।

(3) उपरोक्त कार्यवाही की न्यायालय द्वारा जाँच की जा सकेगी।

190. लोकसेवा आयोग द्वारा किये गये कार्यों का लोकसेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा तथा लोकसभा के सम्मुख रखना होगा जिसमें अस्वीकृति के कारणों सहित ऐसे मामलों का भी उल्लेख करना होगा जिसमें आयोग की सिफारिशें नही मानी गयीं तथा अपनी उपलब्धियों के साथ–साथ कार्य में आने वाली बाधाओं का भी उल्लेख करना होगा।

भाग–13

निर्वाचन तथा निर्वाचन आयोग

191. संविधान के तहत सभी प्रकार के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार के कार्यों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन व नियंत्रण हेतु मुख्य चुनाव आयुक्त सहित सात सदस्यीय निर्वाचन आयोग होगा।

192. (1) केन्द्रीय स्तर से पंचायत स्तर तक निर्वाचन आयोग का अपना स्थायी कर्मचारीवृन्द होगा।

(2) चुनाव आयोग के अनुरोध पर राष्ट्राध्यक्ष चुनाव आयोग को आवश्यक समय के लिए आवश्यक कर्मचारी–वृन्द उपलब्ध करवायेगा तथा उक्त अवधि के दौरान ये कर्मचारी वृन्द चुनाव आयोग के सभी कार्य करेगे।

193. चुनाव आयोग अपनी कार्यवाही के प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं विनिर्मित तथा संशोधित करेगा परन्तु इस हेतु वह संविधान सभा के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेगा।

194. निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से निर्धारित समय पर चुनाव तथा राष्ट्राध्यक्ष के आदेश पर जनमत संग्रह कराएगा । चुनावों के स्थगन का अथवा मध्यावधि चुनाव कराने का अधिकार केवल संविधान सभा को होगा।

195. मतदाता सूचियाँ तथा मतदान

(1) 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र के सभी नागरिक जिनका पंचायत स्तर पर पंजीयन होगा, मतदान के अधिकारी होंगे।

(2) बगैर किसी समुचित कारण के मतदान न करना दण्डनीय अपराध होगा। समुचित कारण की व्याख्या लोकसभा द्वारा की जायेगी।

(3) भारतवर्ष सरकार द्वारा पंचायत सरकार के माध्यम से जारी बहुद्देश्यीय नागरिकता कार्ड ही मतदाता परिचय पत्र का काम करेगे।

(4) जनमत संग्रह अथवा चुनाव के दौरान कोई भी मतदाता अपने निर्वाचन क्षेत्र के अलावा भी देश के किसी भी मतदान केन्द्र पर अपना परिचय पत्र दिखाकर मतदान कर सकेगा।

196. किसी भी कारण से कोई भी निर्वाचित पद रिक्त होने पर दो माह की अवधि में उक्त पद हेतु चुनाव कराए जाकर चुनाव परिणाम घोषित कर दिये जायेंगे।

197. (1) सभी राजनैतिक दलों को सदस्यता तथा चन्दे से तथा अन्य साधनों से प्राप्त अपना सारा धन चुनाव आयोग के पास जमा करवाना होगा तथा वे उसमें से आवश्यकता अनुसार धन निकाल सकेंगे।

(2) सभी राजनैतिक दलों को संबंधित चुनाव में अपना आय–व्यय ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा।

(3) सभी प्रकार के चुनावों में नामांकन पत्र भरते समय प्रत्येक उम्मीदवार को अपनी कुल सम्पत्ति की घोषणा करनी होगी तथा उसकी प्राप्ति का पूर्ण ब्यौरा देना होगा।

(4) इस प्रकार के प्रत्येक उम्मीदवार को उक्त चुनाव के दौरान होने वाले खर्च का पूरा आय–व्यय ब्यौरा देना होगा।

198. (1) सभी प्रकार के चुनाव में नामांकन पत्र भरते समय प्रत्येक राजनैतिक दल व उम्मीदवार को अपना लिखित रूप से चुनाव घोषणा पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। किसी भी राजनैतिक दल के उम्मीदवार हेतु उसके चुनाव घोषणा पत्र के साथ–साथ संबंधित राजनैतिक दल के चुनाव घोषणा पत्र को भी उक्त उम्मीदवार के चुनाव घोषणा पत्र का अंग समझा जाएगा।

(2) यदि कोई उम्मीदवार या संबंधित राजनैतिक दल चुनाव के दौरान मतदाताओं को दिये संदेश में चुनाव घोषणा पत्र के अतिरिक्त भी कोई बात कहता है तो वह भी चुनाव घोषणा पत्र का अंग समझी जाएगी।

(3) यदि प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य, पंचायत प्रमुख या अन्य कोई निर्वाचित सदस्य अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रतिकूल आचरण करता है अथवा जानबूझकर अनुकूल आचरण का प्रयास नहीं करता तो कोई भी व्यक्ति या संस्था प्रधानमंत्री या लोकसभा सदस्य के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में तथा पंचायत प्रमुख के खिलाफ संबंधित उच्च न्यायालय में व अन्य निर्वाचित सदस्य के खिलाफ यथा निर्धारित न्यायालय में अपील कर सकता है।

(4) न्यायालय द्वारा उक्त आरोप सही पाये जाने पर निर्णय के एक माह के भीतर उक्त व्यक्ति के संबंधित पद पर बने रहने के विषय पर संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में जनमत संग्रह कराना होगा तथा जनमत संग्रह में पद पर बने रहने के विपरीत निर्णय आने पर वह व्यक्ति तुरन्त प्रभाव के साथ पदमुक्त समझा जाएगा।

(5) दल बदल को भी चुनाव घोषणा पत्र के प्रतिकूल आचरण समझा जाएगा।

199. दल विभाजन की अनुमति नहीं होगी।

200. किसी भी निर्वाचित पद की पदावधि समाप्त होने से उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए पदावधि की समाप्ति से पूर्व निर्वाचन पूर्ण कर लिया जाएगा।

201. कोई भी निर्वाचित व्यक्ति अपना पदग्रहण करने से पूर्व संविधान सभा द्वारा निर्धारित शपथ लेगा।

202. प्रधानमंत्री, लोकसभा सदस्य तथा पंचायत प्रमुख लगातार दो बार नहीं चुने जा सकेंगे।

203. चुनाव आयोग को प्रतिवर्ष चुनाव आयोग द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा तथा लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा जिसमें अपनी उपलब्धियों के साथ–साथ कार्य में आने वाली बाधाओं का भी उल्लेख करना होगा।

प्रजातंत्र का उद्देश्य वोटों मे आधार पर सत्ता का बँटवारा नही वरन् शासन पर नियंत्रण हेतु जनता के विश्वस्त व्यक्ति का चुनाव है

भाग 14

प्रेस आयोग

204. मुख्य प्रेस आयुक्त सहित एक सात सदस्यीय प्रेस आयोग होगा। इसका कार्य सम्पूर्ण देश में मुद्रण जनसंवाद, इलेक्ट्रॉनिक जनसंवाद, साइबर जनसंवाद, फिल्म, पुस्तकें तथा पत्र–पत्रिकाओं इत्यादि सहित जनसंवाद के सभी माध्यमों की गतिविधियों का नियंत्रण, नियमन एवं अवलोकन करना होगा।

205. प्रेस आयोग अपनी कार्यवाही के प्रक्रिया संबंधी नियम स्वयं निर्मित तथा संशोधित करेगा पर इस हेतु वह संविधान सभा के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेगा।

206. प्रेस आयोग जनसंवाद के सभी माध्यमों की वित्तीय गतिविधियों के विनियमन हेतु नियम – वनियम बनाएगा लेकिन इस हेतु वह संविधान सभा के निर्देशों की अवहेलना नहीं कर सकेगा।

207. प्रेस आयोग जनसंवाद के सभी माध्यमों के सभी विषयों व गतिविधियों को सेन्सर करेगा लेकिन इस प्रक्रिया में वह केवल जनसंवाद के विभिन्न विषयों व गतिविधियों का विभिन्न श्रेणियो में केवल वर्गीकरण ही करेगा और इन श्रेणियों के अनुसार इनके प्रकाशन, प्रसारण, वितरण–संचारण या किसी अन्य प्रकार से संवाद के तरीके के बारे में निश्चित प्रावधान बनाएगा। प्रेस आयोग से अपेक्षा की जाती है कि वह सेन्सरशिप के प्रावधान करते समय शिक्षा आयोग के नीति–निर्देशों का अनुसरण करेगा।

208. जनसंवादतंत्र (प्रेस) या किसी भी व्यक्ति या संस्था के जनसंवाद के किसी भी विषय या क्रियाकलाप को भारतवर्ष के संविधान के प्रावधान के अलावा इसके विषयवस्तु के आधार पर प्रतिबंधित नही किया जाएगा।

209. प्रेस आयोग को प्रतिवर्ष शिक्षा आयोग द्वारा किये गये कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्राध्यक्ष के माध्यम से संविधान सभा तथा लोकसभा के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा जिसमें अपनी उपलब्धियों के साथ– साथ कार्य में आने वाली बाधाओं का भी उल्लेख करना होगा।

भाग–15

विविध

अध्याय प्रथम

महाभियोग

210. राष्ट्राध्यक्ष, उपराष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, शिक्षा आयोग के सदस्य, चुनाव आयोग के सदस्य, लोकसेवा आयोग के सदस्य, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक तथा संविधान अथवा संविधान सभा द्वारा उपबंधित वे व्यक्ति जिन्हें महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, को संविधान के उल्लंघन का, भ्रष्ट्राचार का, राष्ट्रद्रोह का या अक्षमता का दोषी पाये जाने पर दोनों सदनों (लोकसभा तथा संविधान सभा) द्वारा पृथक–पृथक सदन की कुल सदस्य संख्या के दो तिहाई बहुमत द्वारा महाभियोग प्रस्ताव पारित कर हटाया जा सकता है।

महाभियोग प्रस्ताव पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है परन्तु इसे दोनों सदनों द्वारा पृथक–पृथक पारित करना आवश्यक है।

अध्याय द्वितीय

भाषा

211. (1) भारतवर्ष सरकार की राजकार्य की भाषा हिन्दी, लिपि देवनागरी, तथा भारतीय अंकों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा।

(2) इस संविधान का हिन्दी भाषा वाला अनुवाद ही प्रमाणित माना जाएगा।

212. प्रदेश अपने राजकार्य संचालन हेतु कोई भी भारतीय भाषा चुन सकेगा।

213. केन्द्र द्वारा किसी उपराज्य से सम्पर्क संबंधित उपराज्य की भाषा में ही किया जाएगा।

पूँजीवादी तत्वों ने फ्रांस की क्रान्ति से घबराकर प्रजातंत्र को रोकने के लिए संसदीय प्रजातंत्र की ईजाद की जो शक्ल से तो प्रजातंत्र दिखता है पर आत्मा से पूँजीतंत्र है वास्तव में हमें संसदीय प्रजातंत्र (अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र) की नहीं बल्कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र की आवश्यकता है जो वास्तविक प्रजातंत्र है।

अध्याय तृतीय

अनुसूचियां

214. (1) विभिन्न विषय निर्दिष्ट अनुसूची में सम्मिलित किये जाएंगे।

(2) किसी अनुसूची का निर्माण तथा संशोधन निर्दिष्ट संस्था द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(3) अनुसूचियों की सूची

क्र.सं.	विषय	निर्माण तथा संशोधन हेतु अधिकृत संस्था	प्रक्रिया (आवश्यक बहुमत)
01.	लोकसभा क्षेत्र	संविधान सभा	2/3 बहुमत
02.	लोकसभा की कार्यवाही की प्रक्रिया	लोकसभा	2/3 बहुमत
03.	वित्तीय विषय व प्रक्रिया	लोकसभा	साधारण बहुमत
04.	संविधान सभा की कार्यवाही की प्रक्रिया	संविधान सभा	साधारण बहुमत
05.	(क) भारतीय भाषाएँ – (ख) प्रदेश की भाषा	लोकसभा संबंधित प्रदेश के निर्वाचक गण	साधारण बहुमत जनमत संग्रह में साधारण बहुमत
06.	वेतनमान	लोकसभा	साधारण बहुमत
07.	निर्वाचित व्यक्तियों के पद ग्रहण हेतु शपथ का प्रारूप	संविधान सभा	साधारण बहुमत
08.	न्यायपालिका की प्रक्रिया	सर्वोच्च न्यायालय	सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्मित तथा संविधान सभा के साधारण बहुमत द्वारा स्वीकृत
09.	कानून (क) मृत्यु दण्ड (ख) मृत्युदण्ड के अलावा अन्य विषय	 संविधान सभा संविधान सभा	 2/3 बहुमत साधारण बहुमत
10.	विविध	संविधान सभा	साधारण बहुमत

भाग–16

संविधान सशोधन

215. संविधान में संशोधन से पूर्व न्यायापालिका की सहमति

(1) सभी संशोधन विधेयक पेश करने से पूर्व न्यायपालिका की यह सहमति आवश्यक होगी कि वह संशोधन विधेयक सरल तथा सुस्पष्ट है और प्रस्तावना तथा नीति निर्देशक तत्व के अध्याय द्वितीय का उल्लंघन नहीं करता तथा संविधान के अन्य उपबन्धों का विरोध ाभासी नहीं है।

(2) स्थायी नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन हेतु संविधान संशोधन विधेयक पेश करने से पूर्व न्यायपालिका की यह सहमति आवश्यक होगी कि वह विधेयक प्रस्तावना का उल्लंघन नहीं करता।

(3) प्रस्तावना में संशोधन हेतु उक्त स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

216. (1) संशोधन विधेयक भारतवर्ष के किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(2) संशोधन विधेयक सर्वप्रथम संविधान सभा के सचिवालय में प्रस्तुत किया जाएगा तथा सचिवालय न्यायपालिका से संविधान द्वारा निर्धारित आवश्यक सहमति लेकर इसे आवश्यक सदन संविधान सभा या लोकसभा में प्रस्तुत करने की व्यवस्था करेगा।

(3) न्यायपालिका से उक्त सहमति हेतु संशोधन विधेयक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा भी पहल की जा सकती है।

(4) यदि प्रस्तावित संशोधन के कारण संविधान के अन्य उपबन्धों में कहीं विरोधाभास आता है तो उक्त विरोधाभास को दूर करने हेतु प्रस्तावित संशोधन विधेयक में परिवर्तन करना होगा अन्यथा विरोधाभासी उपबन्ध या उपबन्धों में उस उपबन्ध या उन उपबन्धों में आवश्यक संशोधन की प्रकिया द्वारा अपेक्षित संशोधन करना होगा।

(5) संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद भी यदि उक्त संशोधन विधेयक के किसी उपबन्ध या उपबन्धों के संशोधन विधेयक के पारति करते समय मौजूद संविधान के अन्य उपबन्ध या उपबन्धों से विराधाभासी होने की जानकारी होती है तो उक्त संशोधन विधेयक न्यायपालिका द्वारा रद्द कर दिया जाएगा।

(6) संशोधन विधेयक रखने वाले व्यक्ति/संस्था के प्रतिनिधि को अपने दो पक्षकारों सहित उक्त विधेयक पर होने वाली बहस में संबंधित सदन में बोलने का अधिकार होगा।

217. (1) प्रधानमंत्री के परामर्श पर, न्यायपालिका के परामर्श पर अथवा स्वविवेक से राष्ट्राध्यक्ष संविधान के किसी भी संशोधन विधेयक पर जनमत संग्रह का आदेश देगा।

(2) संविधान सभा भी साधारण बहुमत द्वारा जनमत संग्रह का आदेश दे सकेगी।

218. (1) प्रस्तावना तथा इसकी व्याख्या (संविधान का भाग तीन, प्रस्तावना की व्याख्या) केवल जनमत संग्रह में तीन चौथाई बहुमत से ही संशोधित की जा सकेगी।

(2) निम्न भाग जनमत संग्रह में दो तिहाई बहुमत से संशोधित किये जा सकेंगे –

(क) भाग एक (देश तथा नागरिकता)

(ख) भाग दो (संविधान सभा)

(ग) भाग चार का अध्याय एक व अध्याय दो का भाग एक (स्थायी नीति निर्देशक तत्व भाग एक)

(घ) भाग पाँच (मूल अधिकार)

(ड.) भाग छः (मूल कर्त्तव्य)

(च) भाग पन्द्रह (संविधान संशोधन)

(3) विभिन्न अनुसूचियों का निर्माण तथा संशोधन भाग चौदह अध्याय तीन में वर्णित संस्थाओं द्वारा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

(4) संविधान का उल्लंघन किये बगैर संविधान में नये नियम बनाने हेतु तथा इस प्रकार बनाये गए नियमों में संशोधन हेतु संविधान सभा का साधारण बहुमत या जनमत संग्रह का साधारण बहुमत आवश्यक होगा तथा ऐसे नियम अनुसूची क्रमांक दस में सम्मिलित किये जायेंगे।

(5) अस्थायी नीति निर्देशक तत्वों (भाग चार का अध्याय चार) का संशोधन लोकसभा के साधारण बहुमत द्वारा या जनमत संग्रह के साधारण बहुमत द्वारा किया जा सकेगा तथा इसमें संविधान सभा का कोई हस्तक्षेप नही होगा।

(6) संविधान के शेष सभी भाग संविधान सभा के 2/3 बहुमत द्वारा अथवा जनमत संग्रह के साधारण बहुमत द्वारा संशोधित किये जा सकेंगे।

219. जनमत संग्रह द्वारा पारित संशोधन केवल जनमत संग्रह द्वारा ही निर्धारित बहुमत से संशोधित किये जा सकेंगे।

220. संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किये बगैर नई बात जोड़ना भी सविधान संशोधन ही समझा जाएगा तथा इस हेतु भी वही प्रक्रिया अपनायी जाएगी जो उस भाग हेतु निर्धारित है।

221. यह संविधान लागू होने के साथ ही इसके पूर्व के संविधान के सभी उपबंध, इसके पूर्व के सभी सरकारी आदेश, अधिनियम तथा सभी अर्न्तराष्ट्रीय समझौते जिनसे भारतवर्ष सरकार संबंधित है, रद्द हो जाएंगे सिवाय उनके जो इस संविधान में विहित प्रक्रिया द्वारा नवीनीकृत किये जाएंगे।

और यह मेरा सपना है जिसे साकार करने के लिए मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ – देव नन्दन

यह सब कैसे होगा ?

अब तक की सारी बातों का अध्ययन कर आप शयद कह उठेंगे, ''वचने किम् दरिद्रता।'' यह सब सिर्फ कल्पना की बातें है व इनका क्रियान्वयन नितान्त असम्भव है। ऐसी निराशावादी सोच में आपका कोई दोष नहीं है। आज हमारे समाज में समस्याओं की ही बात की जाती है, समाधान की नहीं। बचपन से ही कभी गरीबी, कभी अशिक्षा, कभी बेरोजगारी व कभी भ्रष्टाचार आदि समस्याओं के पाठ रटा–रटा कर हमारी महत्वाकांक्षाओं को इतना कुंठित कर दिया गया है कि इन सबको हम अपनी नियति मान बैठे हैं। बदलाव की बात करने में हमारा हृदय काँप उठता है व इसी दहशत ने हमें निराशावादी बनाकर हमारे शोषण का मार्ग खोल दिया है।

साथियों! जरा विचार कीजिए कि यह सब क्यों नही हो सकता? क्या हमारी रत्नगर्भा भारत भूमि अब सोना नहीं उगलती? क्या हमारे देश में ऐसी सतत् प्रवाही नदियों का जाल नहीं बिछा है जो न सिर्फ सारी भूमि को सींच सके वरन् हमारी ऊर्जा की तमाम आवश्यकताएँ भी पूरी कर सके ? ऐसे कौन से आवश्यक खनिज हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं? क्या भारत माँ प्रतिभाशाली सन्तानों को जन्म नहीं देती ? क्या हमारे देश में बलिष्ठ लोगों की कमी है? क्या विश्व के किसी देश के नागरिक सदाचार में हमारा सानी रखते हैं ? प्रश्न उठता है आखिर क्यों नही बन सकता हमारा देश स्वर्ग?

विश्व के मानचित्र पर एक छोटा सा देश है 'जापान' जहाँ रहने के लिए पर्याप्त भूमि तक नहीं है। जहाँ आलू तक पैदा नहीं हो सकता। उसे हर वस्तु बाहर से मांगनी पड़ती है। जब वह तरक्की कर सकता है फिर हम गरीब क्यों? और तो और, हमसे भी अधिक विविधता व जनसंख्या वाला देश चीन भी आज हमसे आगे बढ़ चुका है और हम विश्व में हुई वैज्ञानिक प्रगति की परछाई से ही संतुष्ठ होकर इठलाते रहते हैं।

दोस्तों वास्तविकता कुछ और है। असलियत यह है कि हमारा देश गरीब नहीं है। गरीबी का बहाना तो सिर्फ हमारा शोषण करने के लिए बनाया जाता है। हम एशियाड, ओलम्पिक व कॉमनवेल्थ जैसे खर्चीले समारोहों का आयोजन करने की क्षमता रखते हैं, हमारे देश में प्रति वर्ष 500 टन सोना चोरी छिपे खरीदा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति रूस व अमरीका के राष्ट्रपतियों के समान सुख सुविध ाओं का भोग करते हैं, नेताओं व पूंजीपतियों की गगनचुंबी अट्टलिकाएँ किस बात का प्रमाण हैं?

साथियों! हर नए दिन हमारे शरीर से खून की कुछ बूंदे कम होती जाती हैं व नेताओं व पूंजीपतियों के बदन की चर्बी बढ़ती जाती है। उद्घाटनों, समारोहों, विदेश यात्राओं व इनके ऐश ओ आराम के लिये कभी पैसे की कमी नहीं आती, परन्तु जब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला गरीब बच्चा मूलभूत सुविधाओं की मांग करता है तो सरकार कहती है, ''पैसा नहीं है''।

और जब कभी सरकार को हमारी आवाज में किसी बदलाव का आगाज़ सुनाई देता है तो एक नया कानून बनाने का नाटक शुरू हो जाता है कभी शिक्षा पर विधेयक, कभी रोजगार पर विधेयक, कभी भोजन पर विधेयक और कभी भ्रष्टाचार पर विधेयक।

''तमाम रात कंकड उबालती रही एक माँ–फरेब खा कर बच्चे चटाई पे सो गये''

साथियों! हमारे ही खून पसीने से बनी इस सरकार के पास हर काम के लिये पैसा है पर हमारे लिये पैसा नहीं है यह सरकार हमें जान बूझकर कमजोर रखना चाहती है ताकि हम व्यवस्थाएँ बदलने

लायक शक्तिशाली न बन सकें। हाँ! हमें जीवित रखने का अहसान जरूर सरकार ने हम पर किया है वह भी सिर्फ इसलिये क्योंकि जब हम जीवित ही नहीं रहेंगे तो ये शोषण किसका करेंगे?

वास्तव में हमारे देश में सिर्फ एक समस्या है सुव्यवस्था का अभाव। यदि प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण दोहन किया जा सके, श्रम का सही मूल्यांकन हो, संसाधनों तथा पूँजी का युक्तिपूर्ण वितरण हो, लोगों को शिक्षा, सुरक्षा व न्याय मिल सके तो ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल नहीं हो सकता।

साथियों! ईश्वर ने हमें विपुल सम्पदा के धनी इस देश में जन्म दिया है परन्तु हम अपने ही स्वामित्व की मीठे पानी की झील के किनारे बैठकर भी सिर्फ इसलिए प्यासे हैं क्योंकि हमारे दिल में डर बैठा हुआ है उस यक्ष का जिसने हमारी झील पर जबरन कब्जा कर रखा है। हमें डर है कि ज्योंही हम अपने हाथ पानी की और बढ़ायेंगे वह यक्ष हमारा सर्वनाश कर देगा।

मेरे बहादुर दोस्तों! ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बार अपने हृदय को आत्मविश्वास से भर कर दृढ़ता पूर्वक अपने हाथ आगे बढ़ाने भर की देर है।

हमारी आंखों की चमक यक्ष को चकाचौंध कर देगी। विश्व की ऐसी कोई शक्ति नहीं जो हमारे बढ़ते हाथों को रोक सके। हमें थोड़ी सी हिम्मत करनी होगी व कुछ पल में झील का सारा पानी हमारा होगा।

हमें आगे बढ़ना है तथा वे व्यवस्थाएँ बदल देनी है जो यक्ष बनकर हमारे सामने खड़ी हैं जिन व्यवस्थाओं के चलते बुराइयाँ जीत जाती हैं व अच्छाईयाँ हार जाती हैं। जो व्यवस्थाएं हमारी तमाम समस्याओं की जड़ हैं।

आप पूछेंगे ''यह सब कौन करेगा ?'' बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, लेकिन यह प्रश्न आप मुझसे मत कीजिए। प्रिज्म के किसी कार्यकर्ता से भी मत कीजिए। अपने किसी दोस्त से भी नहीं। यह प्रश्न आपको अपने आपसे करना है क्योंकि इसका जवाब सिर्फ आपके पास है।

हाँ! सिर्फ आपके पास। यह सब आपको ही करना होगा। यदि यह काम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? यह बदलाव आप और सिर्फ आप ही ला सकते हैं।

अपना आत्म विश्वास बढ़ाइये। आप अकेले नहीं है। न्याय, सत्य व धर्म आपके साथ है। अकेले आप भी आगे बढ़े तो देश के करोड़ों पीड़ित देशवासियों का भाग्य बदल जाएगा। आप कदम बढ़ायेंगे तो रास्ते स्वयं सामने आ जायेंगे। आप किसी की प्रतीक्षा मत कीजिए, वरन् अकेले ही आगे बढ़िए। घर से बाहर निकल कर अपनी बस्ती की चौपाल पर आइये। वहाँ आप जैसे ही कई साथियों सहित हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं।

देव नन्दन
संस्थापक, प्रिज्म

प्रिज्म : एक परिचय

विगत हजारों वर्षों से हमारे राष्ट्र को सँवारने का कोई योजनाबद्व प्रयास नहीं किया गया है तथा भाग्य भरोसे हमारा देश जहाँ भी पहुँचा है वह हमारे सामने है। आज समाज की हर व्यवस्था दूषित हो चुकी है परिणामस्वरूप हमारे देश में आये दिन कोई न कोई समस्या सिर उठाती रहती है।

इन समस्याओं के समाधान का सिर्फ एक तरीका है, आमूलचूल परिवर्तन। आंशिक क्रान्ति नहीं वरन् संक्रान्ति। सुनियोजित, संतुलित, शाश्वत तथा सकारात्मक क्रान्ति ।

यह एक निर्विवाद सत्य है कि वर्तमान युग में राजनीति समाज का नियंत्रण कक्ष (Control Room) बन चुका है जहाँ से मानव जीवन की समस्त गतिविधियाँ संचालित होती हैं। अतः राजनीति की उपेक्षा कर समाज सेवा के अन्य तरीके अपनाकर हम अपने परलोक सुधार की आशा करते हुए अपनी आत्म संतुष्टि तो अवश्य कर सकते हैं परन्तु समाज का कोई विशेष कल्याण नहीं कर सकते। अतः स्पष्ट है कि संक्रान्ति के लिए राजनीति से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं हो सकता।

हमने इतिहास के पृष्ठों पर देखा है कि परिवर्तन के लिए विश्व में कई स्थानों पर सशस्त्र क्रान्ति करनी पड़ी। हिंसा से परहेज तो हम भी नहीं करते, परन्तु यदि मतपत्र क्रान्ति से काम चल सकता है तो सशस्त्र क्रान्ति की क्या आवश्यकता है। जाहिर है सर्वप्रथम मतपत्र क्रान्ति को आजमा लेना चाहिये और हमें मतपत्र क्रान्ति के लिए एक ऐसे राजनैतिक मंच की आवश्यकता होगी जो इस परिवर्तन का वाहक बन सके।

हमारे देश में प्रत्येक राजनीतिक दल तथा उनके नेतागण आमूलचूल परिवर्तन की बात तो करते हैं परन्तु उनमें से किसी के पास भी इस आमलचूल परिवर्तन हेतु न तो योग्य व ईमानदार नेतृत्व है,न परिवर्तन की इच्छा शक्ति, न नयी व्यवस्था की सुस्पष्ट रूपरेखा व न ही कोई कार्य योजना।

देश के सभी राजनैतिक दलों को दो वर्गों मे बॉटा जा सकता है। पहले वे दल हैं जिनके नेताओं ने राजनीति को व्यवसाय बना लिया है व उनकी निष्ठाएँ अपने क्षुद्र स्वार्थों के प्रति हैं तथा दूसरे वे दल हैं जो अपने आप में एक स्वतंत्र दल न होकर किन्हीं अन्य संस्थाओं या देशों के मुखौटे मात्र हैं। अतः उनकी निष्ठाएँ अपने मातृ संगठन के प्रति या दूसरे देशों के प्रति हैं। ये सभी दल अपने स्वार्थों, अपने मातृ संगठन के हितों तथा अपने तथाकथित सिद्धान्तों के लिये (जिन्हें रूढ़ियाँ कहना उचित होगा) देश व देशवासियों के हितों की तिलांजली देते जरा भी नहीं हिचकिचाते ।

ये दल व इनके नेता किसी घाघ बहेलिये की तरह चुनाव के समय कुछ महापुरुषों के नाम का सहारा लेकर भोले–भाले मतदाताओं को लुभावने नारों, कार्यक्रमों व आश्वासनों के जाल में फँसा लेते हैं। चुनाव में अपना उल्लू सीधा करने के बाद ये जनता के कष्टों से आखें मूँदकर अगले चुनाव तक के लिए कुम्भकर्ण की नींद सो जाते हैं। भला हम इनसे सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की क्या उम्मीद कर सकते हैं।

हमारे समाज में एक ऐसी ग्रन्थि है कि सभी अच्छे लोग राजनीति को हेय दृष्टि से देखते हैं परिणामस्वरूप राजनीति में बुरे लोगों का वर्चस्व हो गया है तथा यदि वहाँ कुछ अच्छे लोग हैं भी तो उनकी आवाज नक्कारखाने में तूती की आवाज बन कर रह जाती है।

कार्ल इमर्सन ने कहा है ''अच्छे लोगों को शासन में भाग नहीं लेने का दण्ड यह मिलता है कि उन्हें बुरे लोगों के शासन में रहना पड़ता है।''

अतः प्रिज्म ऐसे सभी अच्छे लोगों का संगठन करना चाहता है जिनकी निष्ठाएं देश व देश की जनता के प्रति हों जो ''दुख तप्तानां प्राणिनां आर्तनाशम्'' की कामना करते हों, जो राजनीति को वेश्या नहीं वरन् एक देवी समझते हों तथा इसके माध्यम से देश व देश की जनता की सेवा करना चाहते हों।

प्रिज्म ने देश के विभिन्न भागों में रहने वाले विभिन्न वर्गों से प्रत्यक्ष सम्पर्क किया है, बिना किसी पूर्वाग्रह के उनके विचारों व समस्याओं का अध्ययन किया है व सम्पूर्ण व्यवस्था परिवर्तन की एक सुस्पष्ट रूपरेखा तथा कार्य योजना तैयार की है।

प्रिज्म का अभिप्राय

प्रिज्म एक प्रकाशीय उपकरण होता है जिसमें से गुजरने पर श्वेत प्रकाश अपने घटक सात रंगों में बँट जाता है। यहाँ श्वेत प्रकाश समाज का तथा विभिन्न रंग व्यक्तियों का प्रतीक हैं जो यह बताते हैं कि समाज व्यक्तियों से ही मिलकर बना है। अतः व्यक्ति प्राथमिक है तथा समाज द्वितीयक ।

प्रिज्म एक ऐसी व्यवस्था की कामना करता है जिसमें व्यक्ति व समाज के हितों में सामंजस्य होगा। जहॉ न समाज या समाजवाद के नाम पर व्यक्ति के हितों की बलि दी जाएगी व न व्यक्तिवाद या पूँजीवाद के नाम पर समाज के हितों की बलि दी जाएगी।

प्रिज्म का उद्देष्य व्यक्ति व समाज के बीच संक्रान्ति की अवस्था अर्थात आस्तिक गतिक साम्यता (Theistic Dynamic equilibrium) स्थापित करना है।

प्रिज्म की एक राजनैतिक दल के रूप में स्थापना 15 अगस्त, 1990 को तथा पंजीकरण 23 नवम्बर, 1991 को किया गया

आप भी देश बचा सकते हैं

आप इस देश के किसी भी कोने में, कहीं पर भी रहते हों तथा कुछ भी करते हों, यदि आप प्रिज्म के माध्यम से देश तथा देश की जनता के लिए कुछ करना चाहें तो, आप अपने स्तर पर बहुत कुछ कर सकते हैं। आपके द्वारा किया गया थोड़ा सा प्रयास भी आप जैसे ही अन्य सज्जनों द्वारा किये गये प्रयास के साथ मिलकर देश को असीम लाभ पहुँचाएगा।

अब तक आप यह तो भली भाँति समझ चुके होंगे कि व्यवस्था परिवर्तन का काम कठिन अवश्य लगता है परन्तु असम्भव नहीं है। इस व्यवस्था परिवर्तन के काम में अपना सहयोग करने हेतु समाज में महत्वपूर्ण स्थिति पर स्थापित व्यक्ति तो शायद ही आगे आयें, क्योंकि मौजूदा व्यवस्थाएं उन्हीं का पोषण करती हैं। स्पष्ट है कि यह काम तो हम आप को ही करना होगा। परन्तु हम लोगों के साधन व क्षमताएं सीमित हैं अतः हम में से प्रत्येक व्यक्ति यदि अपनी अपनी सामर्थ्य व सीमाओं के अनुसार कार्य करे तो हमारा काम अत्यन्त सरल हो जाएगा। आप अपने स्तर पर निम्नानुसार सहयोग कर अपने लक्ष्य को सहज बना सकते हैं।

प्रचार प्रसार

आप प्रिज्म का, प्रिज्म के सिद्धान्तों तथा नीतियों का अपने स्तर पर प्रचार कर सकते हैं। इस हेतु आप पत्र पत्रिकाओं में लेख तथा विज्ञापन दे सकते हैं तथा अपनी सुविधा के अनुसार अन्य तरीके भी अपना सकते हैं ऐसा करते समय आपको यह ध्यान रखना है कि प्रिज्म द्वारा तय नारों के अलावा अन्य नारे न लगायें तथा प्रिज्म के सिद्धान्तों व नीतियों को बिना किसी हेरफेर के प्रकाशित करें। इसीलिये हमने इस पुस्तक का कोई कॉपीराइट नहीं करवाया है।

हमें अपना कार्यक्रम शीघ्रतिशीघ्र भारत के कोने–कोने में फैलाना है। अतः आप अपने परिचितों के पास प्रिज्म संबंधित जानकारी भेज सकते हैं तथा अपने स्तर पर प्रसार हेतु अन्य तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं।

प्रवास

आप अपने कार्यों में से कुछ समय बचाकर अपने क्षेत्र में दौरे कर वहाँ प्रिज्म का कार्यक्रम प्रसारित कर सकते हैं।

आलोचना

आप प्रिज्म द्वारा प्रस्तावित संविधान तथा प्रिज्म के सिद्धान्तों व नीतियों पर आलोचना लिख सकते हैं कृपया इस आलोचना की एक प्रति प्रधान कार्यालय पर अवश्य भेजें ताकि इसके आधार पर संबंधित विषय में आवश्यक सुधार किया जा सके।

आर्थिक सहयोग

यद्यपि हम पूँजीपतियों के विरोधी नहीं क्योंकि आस्तिक गतिक साम्यतावाद तो निजी स्वामित्व तथा आर्थिक स्वतंत्रता की बात करता है। आस्तिक गतिक साम्यतावाद का वास्तव में शुद्ध पूँजीवाद से कोई विरोध नहीं है फिर भी हम शोषक – पूँजीपतियों के अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा नियंत्रित पूँजीतंत्र के घोर विरोधी हैं जो कि वास्तव में छद्म पूँजीवाद हैं।

इसीलिये प्रिज्म ने यह निश्चय किया है कि वह पूँजीपतियों के सामने आर्थिक सहयोग हेतु हाथ नहीं फैलाएगा। ऐसे में आप द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार किया गया थोड़ा सा आर्थिक सहयोग भी अपने कार्य की गति को तीव्रता प्रदान करेगा।

हमें विश्वास है कि उदार प्रवृत्ति वाले, पोषक पूँजीपतियों को भी प्रिज्म की आर्थिक नीति पसन्द आयेगी अतः हम उनके सुझाव व सहयोग का भी स्वागत करेंगे।

विशेष सदस्य बनाना

यदि आप अधिक सक्रिय रूप से सहयोग करना चाहें तो आप प्रिज्म के विशेष सदस्य बन सकते हैं। इसके उपरांत आप केन्द्रीय कार्यालय से सम्पर्क कर आगे की कार्य पद्धति जान सकते हैं।

संक्रान्ति मूवमेन्ट कमेटी का गठन

आप तथा आपके क्षेत्र के विशेष सदस्य मिलकर संक्रान्ति मूवमेन्ट कमेटी की स्थानीय इकाई का गठन कर सकते हैं तथा इसकी सूचना प्रधान कार्यालय को दे सकते हैं। हम आपकी कमेटी के गठन की सूचना सम्बन्धित जिला कार्यकारिणी को दे देगें तथा आपको उसका पता दे देंगे यदि आपके क्षेत्र में प्रिज्म की जिला कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ होगा तो इसके गठन तक आप प्रधान कार्यालय के नियंत्रण में कार्य करेंगे।

संक्रान्ति मूवमेन्ट कमेटी की जिला इकाई तथा इसके ऊपर की इकाई का गठन केन्द्रीय प्रतिनिधियों की उपस्थिति में ही किया जा सकेगा। संक्रान्ति कमेटी की किसी भी इकाई के अध्यक्ष तथा कोषाध्यक्ष की नियुक्ति आपको नहीं करनी है। ऐसा इसलिए है कि गलती से एक ही इकाई के दो अध्यक्ष या कोषाध्यक्ष न बन जायें। अन्य सभी पदों पर आप नियुक्तियँ कर सकते हैं तथा आवश्यकतानुसार पदों का सृजन भी कर सकते हैं। कमेटी में कम से एक महिला सदस्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने पर कमेटी को मान्यता नहीं दी जायेगी।

संक्रान्ति आंदोलन का संचालन

संक्रान्ति मूवमेन्ट कमेटी के गठन के उपरांत आपको अपने क्षेत्र में संक्रांन्ति आन्दोलन का संचालन करना होगा । इस हेतु आप निम्न तरीके अपना सकते हैं –

(क) मल्टीप्लाई योरसेल्फ

आप अपनी दैनिक जीवन में ही हर अनुकूल अवसर का उपयोग कर अपने जैसे और लोग तैयार करने का प्रयास करते रहें।

(ख) गेट टू गेदर

प्रिज्म के ''कॉलेज टू कॉलेज, विलेज टू विलेज'' कार्यक्रम के अन्तर्गत आपको स्थान–स्थान पर ''गेट टू गेदर'' आयोजित कर लोगों को प्रिज्म के कार्यक्रम की जानकारी देनी है उनकी शंकाओं का समाधान करना है तथा लोगों की प्रतिक्रिया व सुझावों से प्रधान कार्यालय को अवगत कराना है।

(ग) आप की चौपाल

आज के निराशा भरे माहौल में लोगों में इतना साहस नहीं है कि वे बदलाव हेतु किसी आन्दोलन की पहल कर सकें। अतः प्रिज्म की भावना फैलाने के लिये हमें ही लोगों के बीच जाना पड़ेगा और गांव तथा शहर की बस्ती की चौपाल पर नुक्कड़ सभाएं करनी होंगी।

पत्र आन्दोलन

इसके अन्तर्गत हमें प्रभावशाली लोगों को पत्र लिखकर उनसे प्रिज्म की नीतियों के क्रियान्वयन हेतु आग्रह करना है। पत्र मुख्य रूप से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद में विपक्ष के नेता, प्रमुख राजनैतिक दलों के नेता, प्रमुख समाचार पत्रों के सम्पादकों तथा प्रमुख लेखकों तथा अपने परिचितों को लिखने हैं।

परम्परागत तरीके

हमें परम्परागत तरीकों यथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन, ज्ञापन तथा आम सभा आदि का भी इस्तेमाल करना है।

परन्तु हमें निम्न कार्य नहीं करने हैं

हमें भूख हड़ताल, आमरण अनशन तथा आत्मदाह जैसे तरीकों का भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि हम जानते हैं कि मौजूदा व्यवस्था के निर्मम नुमाइन्दों पर इनका कोई असर नहीं होता ।

बन्द, आगजनी व तोड़फोड़ जैसे कार्यक्रम नहीं करने हैं क्योंकि इससे उन्हीं लोगों को कष्ट होता है जिनके लिए हमें राजनीति में आना पड़ा।

धरना,घेराव व ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों में व्यर्थ ही श्रम व शक्ति का अपव्यय नहीं करना है।

यद्यपि हम अतिवादी अंहिसा में विश्वास नहीं रखते परन्तु फिर भी अपने देश में स्वदेशी व निर्वाचित सरकार होने के कारण हम हिंसक तरीकों के इस्तेमाल से यथा सम्भव बचना चाहते हैं क्योंकि इससे अपने ही लोगों का नुकसान होता है।

याद रखें! हमारे आन्दोलन का केन्द्र दिल्ली की लोकसभा नहीं, गाँव गाँव में फैली लोकसभा है तथा जनचेतना प्रसार हमारा तरीका है।

धन संग्रह

धन के बगैर सभी कार्यक्रमों का संचालन अत्यन्त कठिन हो जाता है। अतः आपको भी आन्दोलन हेतु धन की आवश्यकता पड़ेगी। हमारे पास धन पूँजीपतियों से तो आने की सम्भावना बहुत कम है। अतः हमें आम आदमी से ही धन संग्रह करना है व उसका पूर्ण सदुपयोग करना है।

केन्द्रीय प्रतिनिधि के कार्यक्रम

यदि आप किसी केन्द्रीय प्रतिनिधि को किसी कार्यक्रम हेतु बुलाना चाहें तो इस हेतु आपको प्रधान कार्यालय पर –

(क) अपने स्थान का नाम, जिले व प्रान्त का नाम
(ख) जिले का नक्शा व उसमें अपने स्थान की स्थिति
(ग) उस क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का नाम
(घ) पहुँचने का मार्ग
(ड) कार्यक्रम का विवरण भेजना होगा

आपका स्थान भारत के किसी भी कोने में क्यों न हो, कितना ही दुर्गम क्यों न हो, आपके बुलाने पर हमारा कोई न कोई प्रतिनिधि वहाँ अवश्य पहुँचेगा तथा उसके आने की दिनाँक व समय की पूर्व सूचना आपको दे दी जाएगी।

याद रखिए! राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारा शौक नहीं है, राजनीति हमारा साध्य नहीं है। राजनीति तो हमारा साधन है जो हमने करोड़ों पीड़ित देशवासियों के कष्ट दूर करने के लिए चुना है। करोड़ों पीड़ित देशवासी ही हमारा एक मात्र आराध्य देव है तथा उनकी उपासना करना हमारा धर्म है। इस प्रकार राजनीति हमारा धर्म है तथा धर्म की सदैव विजय होती है। विश्वास रखिए! यदि हम सब दृढ़तापूर्वक अपने धर्म का पालन करेंगे तो वह दिन दूर नहीं जब महान स्वतंत्रता सैनानियों का आजादी का अधूरा सपना पूरा होगा तथा इस देश का प्रत्येक नागरिक आजादी का सुख प्राप्त कर सकेगा।

राष्ट्रीय अध्यक्ष
प्रिज्म
प्रधान कार्यालय :
9030/14बी, शीदीपुरा, ईस्ट पार्क रोड़,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005
E-mail : prismpresident@yahoo.com
Wesite :
www.prismpresident.com

ओ मेरे देश के चिरयुवाओं !
इन भ्रष्ट नेताओं, दिशाहीन दलों और दूषित व्यवस्थाओं का खेल खत्म कर सत्ता की बागडोर अपने हाथों में ले लो नहीं तो तुम्हारी खामोशी इस देश को निगल जायेगी। – देव नन्दन

O the youth of my country!
Take the reins of Government in your hands or be prepared to see
this country going to ruins. - Dev Nandan

प्रिज्म की आचार संहिता

प्रिज्म के कार्यकर्ताओं से अपेक्षा की जाती है कि सर्वप्रथम तो वे प्रस्तावित भारतवर्ष के संविधान को भली–भाँति पढ़कर प्रिज्म की मूल भावना को तथा प्रिज्म के सपने को ठीक से समझें। हमारा सपना ''जय भारत – जय मानव'' से भली–भाँति स्पष्ट हो जाता है। हमारी मूल भावना है ''कामये दुःख तप्तानाम् प्राणिनाम् आर्तिनाशनम्'' अर्थात दीन दुखियों की तकलीफें दूर करना। अतः हमारे किसी भी आचरण से न तो भारत व भारतीयता की गरिमा को ठेस पहुंचना चाहिए व न ही किसी निर्दोष–असहाय व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक पीड़ा पहुंचनी चाहिये।

प्रिज्म के कार्यकर्ताओं को चाहिये कि

1. अपनी निष्ठा किसी व्यक्ति के प्रति न रख कर लक्ष्य के प्रति रखें।
2. अपने दैनिक जीवन में कुछ समय अपनी चेतना के विकास हेतु अवश्य दें।
3. सभी धर्मों/मतों के प्रति सम्मान भावना रखें।
4. अपने मन में इतना मजबूत संकल्प रखें कि अगर आप अकेले भी पड़ जायेंगे तो संक्रान्ति की मशाल को बुझने नहीं देंगे।
5. अपना आचरण जाति, भाषा, प्रान्त अथवा मजहबी भेदभाव से पूरी तरह मुक्त रखें।
6. प्रिज्म के किसी भी पदाधिकारी का चरण स्पर्श तथा माल्यार्पण न करें।
7. सार्वजनिक रूप से कोई ऐसा अशोभनीय आचरण न किया जाये जिससे पार्टी की गरिमा को ठेस पहुंचती हो।
8. अपनी वेशभूषा वही रखें जो प्रिज्म का सदस्य बनने से पूर्व थी। नेता की छवि वाली वेशभूषा से बच सकें तो बेहतर होगा।
9. प्रिज्म के कार्यक्रमो के दौरान सभी प्रकार के नशे का पूर्ण परित्याग करें तथा सार्वजनिक जीवन में भी नशे से दूर रहें।
10. किसी भी राष्ट्रीय विषय पर जब राष्ट्रीय स्तर पर प्रिज्म के अध्यक्ष, संस्थापक अथवा प्रवक्ता का स्पष्ट दृष्टिकोण अथवा वक्तव्य किसी विश्वसनीय समाचार माध्यम में आ जाए तथा दो दिन तक उसका खण्डन न आवे तब ही कोई कार्यकर्ता उक्त विषय पर प्रिज्म के उक्त बयान के अनुरूप अपना वक्तव्य या राय प्रकट करें। इसके अलावा प्रिज्म के दृष्टिकोण की प्रत्यक्ष रूप से जानकारी मिलने पर भी बयान जारी किया जा सकता है।
11. स्थानीय स्तर की समस्याओं / घटनाओं पर वक्तव्य जारी करते समय ध्यान रखें कि यह प्रिज्म के सिद्धान्तों, नीतियों तथा कार्यक्रमों के अनुरूप ही हो।
12. प्रिज्म की किसी भी प्रकार की सामग्री का स्थानीय भाषा में किया गया अनुवाद प्रधान कार्यालय द्वारा अधिकृत व्यक्ति से जाँच करवाया जाये।

13. चूंकि प्रिज्म का सिद्धान्त ''आस्तिक गतिक साम्यतावाद'' है अतः हम वैचारिक मतभेदों का स्वागत करते हैं क्योंकि सही निष्कर्ष तक पहुँचने हेतु यह आवश्यक है, परन्तु इन मतभेदों की चर्चा केवल प्रिज्म के सदस्यों की बैठक में ही की जाए आम जनता के बीच नहीं। प्रिज्म की बैठकों में गरमागरम बहस भी हो सकती है परन्तु भाषा की शालीनता न खोंए तथा इस बहस को व्यक्तिगत शत्रुता का स्वरूप न लेने दें।

14. प्रेस, पुलिस तथा प्रशासन हमारे शत्रु नहीं वरन् शत्रु के सहयोगी हैं तथा हमारी रणनीति इनका अधिकतम सहयोग लेने की है। अतः इनका अकारण विरोध न किया जाए। अगर कहीं इनका कदाचित दोष भी हो तो इसके लिये प्रेरक अथवा जिम्मेदार नेताओं को दोषी ठहराया जाये। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने शत्रु (भ्रष्ट दल व भ्रष्ट नेता) की ताकत कम करने , उसके सहायक कम करने तथा शत्रुओं को एकजुट न होने देने की रणनीति अपनायी जाए।

    इसी प्रकार सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी भी अन्य प्रकार के शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले सभी लोग हमारे सहयोगी ही साबित होगें। अतः हमें कभी इनकी आलोचना अथवा विरोध नहीं करना है तथा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए इनका यथासंम्भव समर्थन व सहयोग भी किया जा सकता है।

15. शिक्षक, न्यायाधीश, पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार, सैनिक आदि सम्मान जनक लोगों की आलोचना से बचा जाए तथा कदाचित यह आवश्यक भी हो जाय तो शालीन भाषा का प्रयोग किया जाए।

16. प्रदेश स्तर तथा इससे उच्च स्तर की कार्यकारिणी के दो तिहाई से अधिक सदस्य कभी भी एक स्थान पर (बैठक में, मंच पर अथवा भवन आदि में) उपस्थित नहीं होंवें।

17. जिला कार्यकारिणी की मासिक बैठक तथा उससे निम्न स्तर की कार्यकारिणी की साप्ताहिक बैठक अनिवार्य करें। उपस्थित सदस्यों के हस्ताक्षर सहित बैठक की कार्यवाही का संक्षिप्त लिखित ब्यौरा रखा जाये ताकि इसकी फोटोकॉपी सीधे प्रदेश कार्यालय अथवा प्रधान कार्यालय पर भेजी जाये।

18. राष्ट्रीय स्तर के अतिरिक्त अन्य सभी स्तर पर महिला ईकाई पुरुष इकाई से पूर्णतया अलग होगी तथा सम्बन्धित इकाई की महिला उपाध्यक्ष ही इसका प्रधान होगी।

19. यदि संभव हो तो प्रवास में कम से कम तीन लोग रहें ऐसा प्रयास होना चाहिये।

20. किसी भी कार्यक्रम में यथासंभव स्थानीय भाषा का ही प्रयोग किया जाये।

21. आप मूल विचार तथा मुख्यधारा को समझें तथा अन्ध भक्त न बनें।

22. नेपोलियन, मुसोलिनी, हिटलर, राम, कृष्ण, गांधी, सुभाष, अम्बेडकर, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद साहब, चाणक्य, मैकियावेली, इन्दिरा गांधी, ओशो, लेनिन, बुद्ध, माओत्सेतुंग, आदि की जीवनियों का तथा अन्य सम्बन्धित साहित्य का अध्ययन कर, चीन, अरब, रूस व फ्रांस की क्रान्तियों का तथा मनोविज्ञान का अध्ययन कर अपनी प्रतिभा के विकास का प्रयास करें।

23. जिला कार्यकारिणी अथवा इससे उच्च स्तर के पदाधिकारियों की सहमति के बगैर प्रेस वार्ता न करें।

24. प्रिज्म के कोई भी उपसंगठन (यथा युवा–मोर्चा, महिला मोर्चा आदि) नहीं बनावें।

25. प्रिज्म के कार्यकर्ता का प्रमुख कार्य प्रिज्म के विचारों का प्रसार है। इस हेतु प्रस्तावित संविधान का सशुल्क वितरण तथा प्रिज्म के आडियो एवं वीडियों कैसेट का प्रसारण तथा सशुल्क वितरण करना तथा हर अनुकूल अवसर पर इस विषय पर चर्चा करना प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्त्तव्य है।

26. प्रत्येक कार्यकर्ता भारतवर्ष के संविधान की पचास प्रतियाँ सशुल्क वितरित अवश्य करें तथा जिन्हें संविधान वितरित किया गया है, उनसे समय–समय पर मिलकर इस बात की जांच करें कि उन्होंने संविधान पढ़ा या नहीं। उनसे इस विषय पर चर्चा करें, तथा सहमत होने पर उनसे यथासंभव धनराशि संग्रहित करे साथ ही उनसे आग्रह करें कि वे कम से कम दो अनपढ़ लोगों को प्रिज्म के बारे में अवश्य समझाएँ।

27. प्रत्येक कार्यकर्ता ओडिया/विडियों कैसेट के माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष वार्तालाप द्वारा कम से कम पचास अनपढ़ लोगों को प्रिज्म के बारे में अवश्य समझाएँ तथा उनसे यथासंभव धनराशि भी संग्रहित करें।

28. प्रिज्म के सभी कार्यकर्ता तथा समर्थक स्वयं के खर्चे से अपने मकान,दुकान आदि पर सतरंगा आयताकार झण्डा (2:3) या स्टिकर अवश्य लगाएँ, वाहन पर ''नये संविधान के लिये, प्रिज्म के साथ चलिये'' अवश्य लिखवाएं अथवा स्टिकर लगाएं, तथा मकान की बाहरी दीवार पर प्रिज्म का कोई नारा लिखवाएं।

29. चूंकि हमें पूजीपतियों से धन मिलने की बहुत कम सम्भावना है अतः प्रिज्म के प्रत्येक कार्यकर्ता को चाहिये कि आम जनता के बीच से अधिकतम धन संग्रह का प्रयास करें।

30. अपनी आय का कम से कम एक निश्चित भाग प्रतिमाह नियमित रूप से अपनी इकाई के कोषाध यक्ष के पास जमा करवाया जाए अथवा प्रधान कार्यालय पर मनीआर्डर/डिमाण्ड ड्राफ्ट/रेखांकित चेक द्वारा भेजा जाये।

31. यदि आप किसी भी प्रकार के सुझाव देना चाहें तो प्रधान कार्यालय पर भेज सकते हैं।

राष्ट्रीय अध्यक्ष